राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

Rajasthan State Human Rights Commission
Jaipur

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

अनुक्रमणिका

1.	आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण एवं अधिकारियों की सूची	1
2.	स्टाफ (पदों की सूची)	2
3.	राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना	3
4.	आयोग में वित्तीय प्रावधान	4
5.	प्राप्त प्रकरणों से संबंधित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण (तालिकायें)	5–7
6.	विभिन्न परिवाद एवं निर्णय	8–71
7.	माननीय आयोग के अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश टाटिया द्वारा किये गये केम्प कोर्ट/जनसुनवाई	72–73
8.	डी. के. बसु प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश	74–75
9.	राज्य आयोग के कार्य	76
10.	राज्य आयोग की शक्तियां	77
11.	आयोग में शिकायतों का पंजीयन एवं सुनवाई प्रक्रिया	78–79
12.	माननीय श्री एच.आर. कुड़ी	80
13.	माननीय डॉ. एम.के. देवराजन	81
14.	आयोग के दूरभाष नम्बर	82

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में सूचना तैयार करने हेतु आयोग में पदस्थापित अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	अवधि	निवास का पता
1.	न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया	माननीय अध्यक्ष	11.03.2016 से निरन्तर	754, गीता भवन के पास, सरदारपुरा, जोधपुर
2.	श्री एच.आर. कुड़ी	माननीय सदस्य	01.09.2011 से 31.08.2016	(बी-3), 1/27, गांधी नगर, जयपुर
3.	डॉ. एम.के. देवराजन	माननीय सदस्य	01.09.2011 से 31.08.2016	26, पामकार्ट कॉलोनी, जी.एस. शूटिंग रेंज, जगतपुरा, जयपुर
4.	श्री जे.सी. देसाई, आई.ए.एस.	सचिव	01.07.2015 से निरन्तर	69/188, वीटी रोड मानसरोवर, जयपुर
5.	श्री दलपत सिंह दिनकर, आई.पी.एस.	अति. महानिदेशक पुलिस	24.11.2015 से निरन्तर	80/ए, पटेल मार्ग मानसरोवर, जयपुर
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार व्यास	रजिस्ट्रार	30.03.2017 से निरन्तर	जेए-8, न्यायदीप, गांधी नगर, जयपुर
7.	श्री सतीश कुमार	अति. पुलिस अधीक्षक	01.04.2016 से 31.01.2017	मालवीय नगर, जयपुर
8.	श्री राजेन्द्र कुमार चारण	अति. पुलिस अधीक्षक	06.03.2017 से निरन्तर	343, हनुमान नगर विस्तार खातीपुरा, जयपुर
9.	श्री सुरेश चन्द जैन	सहा. लेखाधिकारी प्रथम	01.04.2016 से 31.03.2017 तक	44, गोविन्दा कॉलोनी गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
10.	श्री दुष्यन्त कुमार जैन	प्रोग्रामर	01.04.2016 से निरन्तर	266, कटेवा नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर
11.	श्री कृष्णानन्द शर्मा	प्रोग्रामर	01.12.2016 से निरन्तर	192/251, प्रताप नगर जयपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

दिनांक 31.03.2017 को स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	पद का पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे
1.	अध्यक्ष	एक	एक	–	90000/-
2.	सदस्य	दो	दो	–	80000/-
3.	सचिव	एक	एक	–	37000–67000+10000
4.	अति. महानिरीक्षक पुलिस	एक	एक	–	67000–79000
5.	रजिस्ट्रार	एक	एक	–	37000–67000+10000
6.	प्रमुख निजी सचिव	एक	–	एक	37000–67000+10000
7.	उप सचिव	एक	–	एक	15600–39100+7600
8.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	एक	एक	–	15600–39100+7600
9.	उप पंजीयक	एक	–	एक	15600–39100+7200
10.	निजी सचिव	चार	एक	तीन	15600–39100+6600
11.	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	एक	एक	–	9300–34800+4800
12.	लेखाकार	एक	–	एक	9300–34800+4200
13.	निजी सहायक	छः	एक	पांच	15600–39100+4200
14.	कार्यालय अधीक्षक	एक	–	एक	15600–39100+4200
15.	सहायक कार्यालय अक्षीक्षक	दो	–	दो	15600–39100+3600
16.	प्रोग्रामर	दो	दो	–	15600–39100+4800
17.	सूचना सहायक	एक	एक	–	5200–20200+2800
18.	उप पुलिस निरीक्षक	दो	दो	–	15600–39100+4200
19.	हैड कांस्टेबल	एक	एक	–	5200–20200+2800
20.	कांस्टेबल/अर्दली	तीन	तीन	–	5200–20200+2400
21.	क्लर्क–I	छः	एक	पाँच	5200–20200+2800
22.	क्लर्क–II	आठ	पांच	तीन	5200–20200+2400
23.	वाहन चालक	छः	चार	दो	5200–20200+2400
24.	प्रोसेस सर्वर/च.श्रे.क्र.	तीन	–	तीन	5200–20200+1650
25.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	दस	आठ	दो	5200–20200+1650
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक्स सर्विसमैन/होमगार्ड	तीन	तीन	–	-

*क्रम संख्या 2 पर अंकित सदस्य के दोनों पदों पर कार्यरत माननीय सदस्य दिनांक 31.08.2016 को सेवानिवृत हो चुके थे।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की संगठनात्मक संरचना

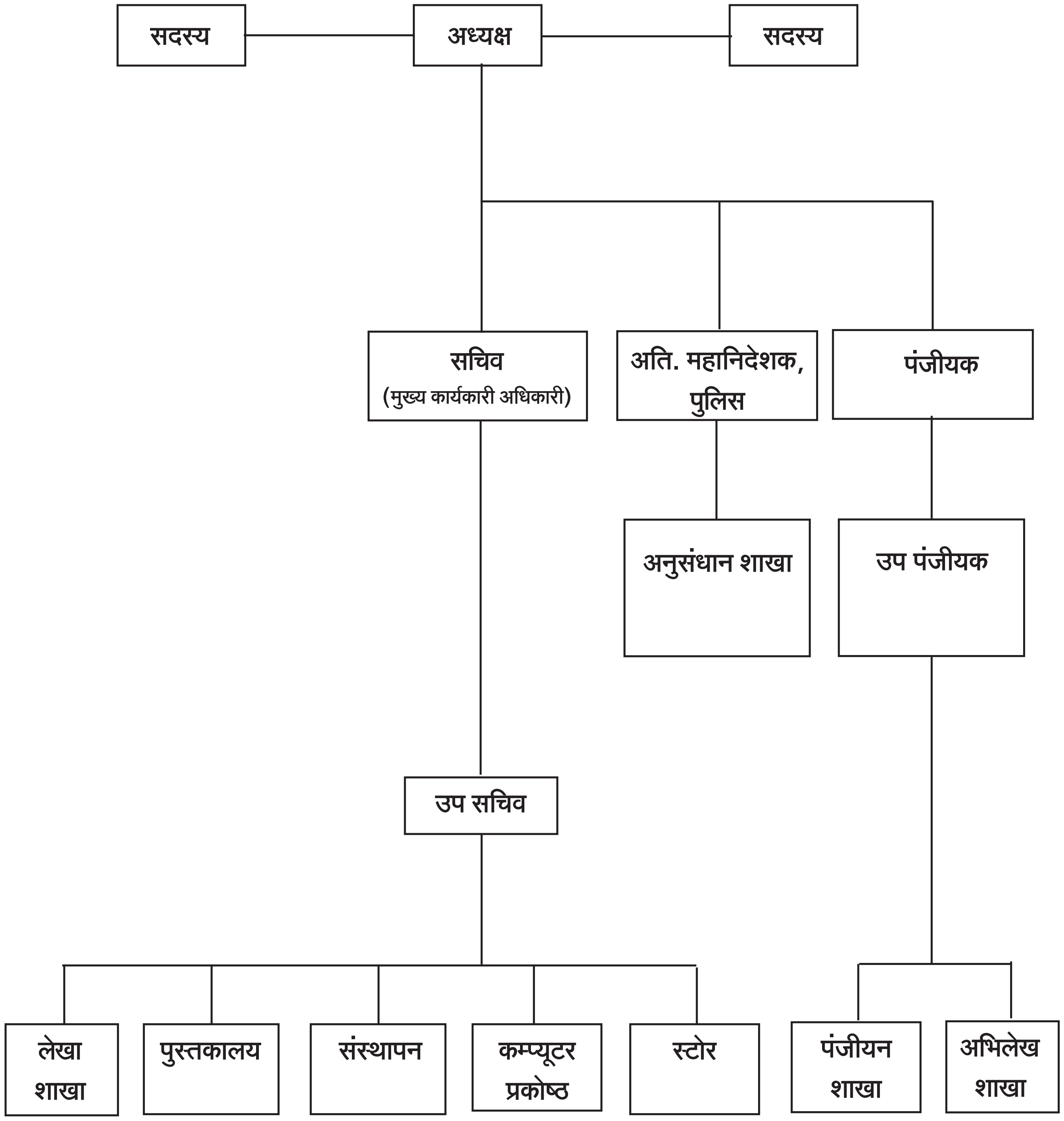

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण

बजट शीर्षक	2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 190– सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (05)– राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान 01– राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान (प्रतिबद्ध) 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) 92– सहायतार्थ अनुदान संवेतन (आयोजना भिन्न)

वित्तीय वर्ष 2016–17

मद	**आवंटित बजट/प्रावधान (लाखों में)**	**वास्तविक खर्च (लाखों में)**
वेतन	280.00	248.88
गैर–संवेतन	120.00	61.95
योग	**400.00**	**310.83**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

1 अप्रेल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल प्राप्त प्रकरण	प्रथम दृष्टया निस्तारित प्रकरण	बिना प्रतिवेदन मंगाये प्राथमिक जांच के उपरांत सनिदेश निस्तारित प्रकरण	जांच के उपरांत निस्तारित प्रकरण	परिवादी को अनुतोष देने एवं राज्य सरकार को अनुशंसित प्रकरण	कुल निस्तारण (4+5+6+7)	विचाराधीन प्रकरण (3–7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	298	82	7	77	1	167	131
2.	अलवर	250	100	15	4	1	120	130
3.	बारां	54	29	1	5	0	35	19
4.	बांसवाड़ा	63	34	3	2	0	39	24
5.	बाड़मेर	90	43	1	3	0	47	43
6.	भरतपुर	229	100	8	17	0	125	104
7.	भीलवाड़ा	397	94	11	215	0	320	77
8.	बीकानेर	146	69	1	10	0	80	66
9.	बूंदी	95	40	8	3	0	51	44
10.	चित्तौड़गढ़	149	78	6	7	0	91	58
11.	चूरू	66	31	0	2	0	33	33
12.	दौसा	157	59	5	11	0	75	82
13.	धौलपुर	128	55	9	4	0	68	60
14.	डूंगरपुर	39	22	0	0	0	22	17
15.	हनुमानगढ़	69	30	0	3	0	33	36
16.	श्रीगंगानगर	93	62	0	1	0	63	30
17.	जयपुर	905	433	8	43	2	486	419
18.	जैसलमेर	30	14	2	5	0	21	9
19.	जालौर	68	32	1	2	0	35	33
20.	झालावाड़	145	78	0	8	0	86	59
21.	झुंझुनूं	130	52	4	5	0	61	69
22.	जोधपुर	289	121	11	31	1	164	125
23.	करौली	119	47	5	3	0	55	64
24.	कोटा	159	87	3	10	0	100	59
25.	नागौर	148	58	4	8	0	70	78
26.	पाली	124	65	4	7	0	76	48
27.	राजसमन्द	57	24	7	6	0	37	20
28.	स. माधोपुर	141	64	7	7	0	78	63
29.	सीकर	174	85	4	6	0	95	79
30.	सिरोही	68	39	3	0	0	42	26
31.	टोंक	117	54	4	4	0	62	55
32.	उदयपुर	220	106	3	12	0	121	99
33.	प्रतापगढ़	72	31	5	2	0	38	34
34.	राज्य से बाहर	25	17	1	0	0	18	7
	योग	**5314**	**2335**	**151**	**523**	**5**	**3014**	**2300**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

01 अप्रेल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक कुल प्राप्त प्रकरणों से संबंधित घटनाओं का जिलेवार/विषयवार वर्गीकरण

क्र.सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अजमेर	3	2	4	1	0	1	54	2	1	2	26	202	298
2	अलवर	0	4	4	2	1	5	90	2	1	11	26	104	250
3	बारां	0	0	1	0	0	0	5	0	0	1	16	31	54
4	बांसवाड़ा	0	0	1	3	0	0	13	0	0	0	4	42	63
5	बाड़मेर	0	0	1	0	0	0	18	0	2	3	10	56	90
6	भरतपुर	0	1	3	3	1	3	87	1	0	13	12	105	229
7	भीलवाड़ा	0	0	1	2	0	2	54	0	2	3	174	159	397
8	बीकानेर	1	1	15	0	0	0	34	0	0	1	20	74	146
9	बूंदी	0	1	0	5	0	0	29	0	0	2	12	46	95
10	चित्तौड़गढ़	0	0	2	2	0	0	37	0	3	6	9	90	149
11	चूरू	0	1	1	0	0	0	15	0	0	2	42	5	66
12	दौसा	0	1	0	1	0	0	55	0	5	3	25	67	157
13	धौलपुर	0	0	3	2	0	1	49	1	0	4	7	61	128
14	डूंगरपुर	1	0	0	0	0	0	8	0	1	2	20	7	39
15	हनुमानगढ़	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	55	7	69
16	श्री गंगानगर	0	0	0	1	0	0	7	0	0	0	62	23	93
17	जयपुर	1	8	31	2	0	1	253	2	1	19	146	441	905
18	जैसलमेर		1	0	0	0	0	8	0	0	0	5	15	30
19	जालौर	0	0	0	1	1	0	19	1	0	1	10	35	68
20	झालावाड़	0	2	0	1	0	0	15	0	0	2	39	86	145
21	झुन्झुनू	0	0	0	1	0	0	49	4	0	4	15	57	130
22	जोधपुर	1	3	19	2	0	0	55	0	1	4	77	127	289

क्र.सं.	जिले का नाम	बालक से संबंधित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से संबंधित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से संबंधित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से संबंधित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय से संबंधित (900.01से 900.05)	महिलाओं से संबंधित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	करौली	0	0	1	6	0	3	27	0	2	2	20	58	119
24	कोटा	0	0	9	0	0	1	13	0	0	4	48	84	159
25	नागौर	0	1	3	4	0	1	48	0	0	5	16	70	148
26	पाली	3	0	0	4	1	1	23	0	2	3	19	68	124
27	राजसमन्द	1	0	0	1	0	0	21	0	5	0	1	28	57
28	सा. माधोपुर	1	0	0	1	0	1	42	0	0	4	27	65	141
29	सीकर	0	0	0	1	0	3	10	1	0	0	134	25	174
30	सिरोही	0	0	0	0	1	0	15	0	1	1	10	40	68
31	टोंक	1	1	1	4	0	3	30	1	1	3	11	61	117
32	उदयपुर	0	0	18	1	0	1	17	0	0	2	67	114	220
33	प्रतापगढ़	1	0	0	0	0	1	8	0	0	3	22	37	72
34	राज्य से बाहर	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	20	25
	कुल :	**15**	**27**	**118**	**51**	**5**	**28**	**1215**	**15**	**28**	**112**	**1190**	**2510**	**5314**

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

31 मार्च 2017 को बकाया प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित घटनाओं का जिलेवार/ विषयवार वर्गीकरण

क्र.सं.	जिले का नाम	बालक से सम्बन्धित (100.01 से 100.07)	स्वास्थ्य (200.01 से 200.03)	जेल से सम्बन्धित (300.01 से 300.07)	अपराधिक गिरोह (400.01 से 400.03)	श्रमिकों से सम्बन्धित (500.01 से 500.06)	अल्पसंख्यक व अन्य (600.01 से 600.03)	पुलिस से सम्बन्धित (700.01 से 700.19)	प्रदूषण (800.01 से (800.02	धर्म/ समुदाय से सम्बन्धित (900.01से 900.05)	महिलाओं से सम्बन्धित (1000.01 से 1000.10)	विविध (1001.01 से 1001.03)	ग्रहण नहीं करने योग्य प्रकरण (1002.01से 1002.11)	जिलेवार कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	कुल :	**12**	**24**	**68**	**44**	**5**	**26**	**951**	**13**	**24**	**101**	**688**	**344**	**2300**

कालावधि में आयोग द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण आदेश

क्र.सं.	परिवाद संख्या एवं शीर्ष	पेज नम्बर

1. केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर की सुरक्षा व्यवस्था–जेल परिसर की दीवार के सहारे डपिंग यार्ड से जेल की सुरक्षा–अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा सुरक्षा को खतरा बताया गया है– जेल की दीवार के पास डपिंग यार्ड जारी रखने का औचित्य नहीं है– आधुनिक डपिंग यार्ड जोधपुर शहर में बनाये जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जावें।

   परिवाद संख्या 16/22/1938

2. कृषि विश्व विद्यालय, मण्डोर, जोधपुर में खुले बंदी शिविर में बंदी से हल में जुतवा कर कृषि कार्य करवाने के विडियों का प्रसारण किया गया था। इसके आधार पर प्रसंज्ञान लिया जाकर खुले बंदी शिविर में बंदी को हल में जोत कर खेती करवाने पर तत्काल प्रभाव से लगाने की अनुशंसा की गयी।

   परिवाद संख्या 16/22/3234

3. राज्य की लगभग तमाम सेवाओं में पेंशन प्रकरणों की गहनता से जांच कर आयोग के विभिन्न आदेशों से हजारों प्रकरणों का निस्तारण किया गया। नियोक्ता विभाग के हजारो कर्मियों को लाभ दिलाये जाने से पेंशन विभाग व विभाग में लंबित कार्य में भारी कमी आयी हैं।

   परिवाद संख्या 13/10/1492

4. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन एवं अन्य सेवा निवृति लाभ की गंभीर समस्या पर निर्देश दिये गये। परिवहन निगम में प्रतिमाह औसत रूप से 100 कर्मचारी सेवा निवृत होते हैं। इनकी मासिक देनदारी लगभग 10 करोड़ रू. है। वर्तमान में निगम पर लगभग 300 करोड़ रू. की यह देनदारी बन चुकी है। निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरणों के कारण 113 कर्मियों के लगभग 970 लाख रू. का भुगतान किया गया। निगम द्वारा पेंशन भत्ते का भुगतान 1998 से नही किया जा रहा है। आयोग द्वारा पाया गया कि निगम की इस आर्थिक अव्यवस्था व निगम कर्मचारियों के मानव अधिकार हनन के संबंध में राज्य सरकार व निगम द्वारा पिछले 20 वर्षो से गंभीर तथ्य नहीं दिये गये। आयोग

द्वारा टिप्पणी की गयी कि इस प्रकार से न्यायालय में अनावश्यक अवमानना प्रकरणों से सेवा निवृति लाभ प्राप्त करने का जरिया बना दिया गया है। लिटिगेशन नीति की पालना नहीं की गयी। निगम के पास इस समस्या के विारण हेतु कोई दृष्टि नहीं पायी गयी। वर्तमान समय में भी निगम 1.03 करोड रु. प्रतिदिन का नुकसान उठा रहा है। राज्य सरकार व निगम को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

परिवाद संख्या 14/14/3126, 14/17/3493

5. मकराना जेल में बंदी द्वारा थाना अधिकारी, मकराना के नाम से एक व्यक्ति को मोबाइल से फोन कर थाना अधिकारी, मकराना के बैंक खाते में तत्काल (आज ही) 2.00 लाख रु. जमा कराने हेतु कहा गया और उक्त व्यक्ति को मोबाइल फोन से कहा गया कि पुलिस थाना आकर थाना अधिकारी से रोकडी रु. लिये जावे। इस हेतु मोबाइल से एससएमएस भी भेजा गया। जेल से अपराधियों द्वारा अपराध कारित करने की जांच शुरू की गयी।

परिवाद संख्या 16/08/2509

6. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स,) जोधपुर के परिसर में एक दिन दिनांक 19.11.2015 को एक आवारा कुत्ते द्वारा दो संस्था से संबंधित व्यक्ति व एक नर्सिंग छात्र को काटे जाने के आधार पर प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया जाकर निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स), जोधपुर व आयुक्त, नगर निगम जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी।

परिवाद संख्या 15/22/4456

7. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एक बच्ची का बाया हाथ कोहनी से निचे से व दायां हाथ कंधे से काटे जाने की विद्युत दुर्घटना के प्रकरण में पीडिता के उपचार हेतु रु. 15000/– व क्षतिपूर्ति हेतु रु.4,00,000/– की अनुशंसा में यह शर्त लगाये जाने कि आप ''एक शपथ पत्र जो तहसीलदार अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हो, जिसमें निगम के विरूद्व क्षतिपूर्ति राशि चाहने हेतु हमने किसी भी न्यायालय में निगम विरूद्व ना तो वाद दायर किया है, ना ही भविष्य में दायर करेंग'' का शपथ पत्र पेश करने हेतु पीडिता के पिता को निर्देशित किया गया। आयोग द्वारा इस प्रकार की शर्त को पूर्णतया गैर कानूनी, अवैध व मामूली लाभ देकर वास्तविक

क्षतिपूर्ति राशि अगर अधिक हो तो न्यायालय के मार्फत भी प्राप्त करने से रोकने की चेष्टा पर विद्युत कम्पनी से रिपोर्ट तलब की गयी तथा विद्युत कम्पनी को इस प्रकार के शपथ पत्र व अंडर टेकिंग के बगैर विद्युत कम्पनी द्वारा स्वीकृत राशि रु. 15000/– व 4,00,000/– भुगतान करने के निर्देश दिये गये तथा टिप्पणी की गयी कि पीडिता के पिता हर्जानो के लिए अपना दावा भी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

परिवाद संख्या 15/02/2286

8. सेना से सेवा निवृत परिवादी द्वारा स्वयं को बिना कारण बताये स्टेडिंग वारंट से गिरतार कर जेल में बंद करने व अदालत द्वारा परिवादी को दिनांक 22.09.2009 जमानत पर रिहा किये जाने से पीडित होकर परिवाद पेश किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद तथ्यों के विपरीत न्यायिक निर्णय में दिये गये निर्णय के विरूद्व दुर्भावना से परिवाद पेश करने के कारण परिवादी का परिवाद रु. 20,000/– के हर्जाने सहित निरस्त किया गया।

परिवाद संख्या 12/17/1102, 12/02/1453

9. तेजाब के हमले से बुरी तरह से जख्मी दो बालिकाओं के प्रकरण में मुख्य मंत्री सहायता कोष से रु.75,000/– व 25,000/– की राशि अलग अलग दिलायी गयी। आयोग द्वारा तथ्यों को देखते हुए आदेश दिनांक 18.11.2014 दोनों बालिकाओं को रु. 2,00,000/– और पीडित बालिकाओं के ईलाज के लिए संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने व पीडिताओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बालिकाओं की शिक्षा के अनुरूप राज्य सेवा में सरकारी नौकरी दिये जाने की अनुशंसा की गयी। पीडिताओं को आयोग के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति राशि दी गयी। परन्तु राज्य सेवा में नियमों का हवाला देकर नियुक्ति देने में असमर्थता जाहिर की गयी। नोटः– (केन्द्र सरकार द्वारा व राज्य सरकार द्वारा तेजाब हमला पीडितों को विशेष सहायता के नियमों में संशोधन कियाा जा चुका हैं।

परिवाद संख्या 12/17/1035

10. राजस्थान आवासन मंडल, द्वारा निर्धन व्यक्तियों हेतु बहुमंजिला आवासीय योजना दिसंबर, 2005 में शुरू की गयी। पंजीकरण के समय प्रत्येक फ्लैट का अनुमानित विक्रय मूल्य रु. 2,85,000/– निर्धारित किया गया। भवन निर्माण वर्ष 2009 तक पूरा होना चाहिये था। कुल 4,096 फ्लैट बनने थे। कार्य आदेश के 10 वर्ष पश्चात भी

आवंटियों को फ्लैट नहीं दिये जाकर व फ्लैट की कीमत रु. 2,85,000/– से बढ़कार रु.7,49,000/– करने के विषय पर प्रसंज्ञान लिया जाकर आवासन मंडल व प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट, टिप्पणी व सुझाव आयोग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

परिवाद संख्या 13/17/2152

11. राजस्थान होमगार्ड परिवार कल्याण संस्था, कोटा की ओर से आयोग में परिवाद पेश किया गया कि राज्य में होमगार्ड के सेवा नियमों के कारण होमगार्ड व उनके परिवारों के मानव अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1000/2010 होमगार्ड सैनिक एवं परिवाद कल्याण संघ एवं अन्य के प्रकरण में इनके सेवा नियमों में सुधार हेतु दिनांक 02.12.2011 को निर्णय भी दिया जा चुका है। जिसमें यह टिप्पणी भी की गयी है कि अगर याचिकाकर्ताओं को न्यायिक सहायता नहीं दी जाती है तो (माननीय) उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य में निर्वाह में चूक करेगा व परिवादियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकेगा। इस न्यायिक निर्णय का राजस्थान सरकार की ओर से किये गये कथन की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय राजस्थान सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। आयोग द्वारा टिप्पणी की गयी कि किसी भी उच्च न्यायालय का निर्णय जो बाध्यकारी नहीं होने का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे निर्णय को किसी भी सूरत में नही माना जावेगा। आयोग द्वारा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक उद्घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 23,25 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 इत्यादि के वैधानिक प्रावधान का विवेचन कर टिप्पणी की गयी कि ''किसी व्यक्ति के दबे हुए (Oppresses) होने के कारण से अगर कोई कार्य लिया जाता है तो निश्चित रूप से यह एक बेगार तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(2) से प्रतिबंधित है।'' इस प्रकार भी भावना आदर्श राज्य की परिकल्पना के विपरीत है। आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी कि :–

1. राज्य सरकार होमगार्डस की कार्यदशा, वेतन–भत्ते ,सेवाशर्ते, पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा आदि के बारे में विचार करने के लिए समिति का गठन करें।
2. उक्त समिति के निर्णय लेने तक अंतरित तौर पर होमगार्डस को न्यूनतम मूल

वेतन (रनिंग पे स्केल व भत्तों के लिए) दिये जाने पर गंभीरता से विचार करे।

3. रोटेशन प्रणाली से होमगार्डस को ड्यूटी पर लेने की प्रक्रिया समाप्त कर इन्हें पूरे वर्ष कार्य पर लिये जाने पर विचार करें।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों की मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से कार्यवाही की गयी है ? उसके अनुरूप राज्य में भी होमगार्डस को लाभ प्रदान किया जावे।

परिवाद संख्या 12/24/681, 12/29/1005, 08/10/3422

12. ''लिव इन रिलेशनशिप''– इससे उत्पन्न पुरूष–महिला के संबंध/अधिकार – Protection of women form Domestic Violence Act, 2005 के प्रावधानों से क्या महिलाओं के अधिकरों की समुचित सुरक्षा होती है ? ऐसे रिश्तों के कुप्रभाव पर विचार करने हेतु स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर विचार शुरू किया गया।

परिवाद संख्या 17/17/454

13. 76 वर्षीय परिवादिनी जिसकी पुत्री के पति की मृत्यु हो चुकी है व परिवादिनी की पुत्री वर्ष 2009–2010 में 12 वीं पास करने के पश्चात डिप्लोमा इन एजूकेशन के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्ष 2010 में बीपीएल कार्ड बनवाने हेतु आवेदन किया। महामहिम राज्यपाल, एक सांसद, मुख्य मंत्री कार्यालय व तमाम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात भी व आयोग में वर्ष 2016 से प्रकरण विचाराधीन है, में कार्यवाही नही होने पर राज्य सरकार 6 वर्ष में परिवादिनी के बीपीएल प्रकरण का निस्तारण नही करने के कारण रू. 50,000/– के हर्जाना क्यों नही आरोपित किया जावें ? इस हेतु उचित कारण बताये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

परिवाद संख्या 16/33/1175

14. विद्युत दुर्घटना में होने वाली मृत्यु तथा गंभीर चोटों के कई प्रकरणो में से इस एक प्रकरण में 14 वर्षीय बालक की विद्युत करंट से मौत होने के प्रकरण में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हनुमानगढ़ द्वारा बताया गया कि दुर्घटना एक 11 केवी लाईन के निचे रेत का टिला बनने के कारण लाईन क्लीयरेंस नही होने के कारण से घटित हुई। विद्युत कम्पनी द्वारा मृतक के पिता को मुआवजा राशि रू. 2,50,000/– दिनांक 5.4.2013 को अदा की जा चुकी है। आयोग द्वारा संपूर्ण तथ्यों

का अध्ययन कर पाया गया कि विद्युत विभाग की इस दुर्घटना में गंभीर लापरवाही मुख्य कारण रही है। आयोग द्वारा निर्धारित किया गया कि विद्युत कम्पनी द्वारा जारी आदेश दिनांक 9.1.2011 ऐसे प्रकरण में क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि आयोग पर बाध्यकारी नहीं है न ही यह सीमा पीड़ित व पीड़ित के उत्तराधिकारी के लिए है। आयोग द्वारा मृतक के पिता को 2,50,000/– अतिरिक्त व मृतक की माता को रू. 5,00,000/– क्षतिपूर्ति हेतु अनुशंसा की गयी।

परिवाद संख्या 14/15/1095

15. नगर निगम, जयपुर द्वारा अरबन डवलपमेंट टैक्स (यूडी टैक्स), हाउस टैक्स, व बकाया लीज राशि नहीं चुकाने वाले के सीवरेज कनेक्शन काटने के निर्णय व नोटिस दिये जाने पर गंभीर आपत्ति की गयी। नगर निगम,जयपुर में जवाब दिया गया।

परिवाद संख्या 16/17/558

16. नगर निगम, जयपुर द्वारा पुनः दिनांक 13.02.2017 को यूडी टैक्स, व अन्य देय राशि निगम को अदा नही करने वाले बकायेदारों मय होटल मालिक, हास्पिटल, मैरिज गार्डन के सीवरेज कनेक्शन काटने के निर्णय को समाचार पत्रों में जारी कर आम जनता को अवगत कराया गया। आयोग द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 28.02.2017 से नगर निगम, जयपुर की इस कार्यवाही पर अंतरित स्थगन आदेश जारी किया गया।

परिवाद संख्या 17/17/558

17. परिवादी जिला अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, (राठौड) जिला शाखा चुरू के जिला अध्यक्ष की हैसियत से उक्त महासंघ के लैटर हैड पर स्वयं व स्वयं की पत्नि के आर्थिक हितों के लाभ हेतु गलत परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 28.02.2017 से परिवादी पर रु. 25,000/– हर्जाना आरोपित किया गया। (परिवादी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध रिट याचिका संख्या 5228/2017 से दी गयी चुनौती माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2017 से निस्तारित की गयी।)

परिवाद संख्या 13/11/2322

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर

परिवाद संख्या 16/22/1938 दिनांक 09.08.2016

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पणः—केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर की सुरक्षा व्यवस्था—जेल परिसर की दीवार के सहारे डपिंग यार्ड से जेल की सुरक्षा—अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह जोधपुर द्वारा सुरक्षा को खतरा बताया गया है— जेल की दीवार के पास डपिंग यार्ड जारी रखने का औचित्य नहीं है— आधुनिक डपिंग यार्ड जोधपुर शहर में बनाये जाने हेतु कार्य योजना प्रस्तुत की जावे।

आदेशिका

केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के पास में स्थित डम्पिंग यार्ड अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर की राय में सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है एवं डम्पिंग यार्ड खुला होने के कारण इसकी गंदगी का असर जेल परिसर में भी फैल रहा है। आयोग द्वारा इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात जिला कलक्टर, जोधपुर व नगर निगम, जोधपुर से रिपोर्ट तलब की गई थी। आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर ने पत्र दिनांक 06.06.2016 द्वारा अवगत कराया था कि सेन्ट्रल जेल के पीछे स्थित नगर निगम के नाले को कवर कर डम्पिंग यार्ड बनाया गया है व सेन्ट्रल जेल पास में होने के कारण उसकी सुरक्षा व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा दीवार को ऊंचा उठाने के कार्य के लिए रूपये 09.43 लाख की निविदा आमंत्रित कर दी गई है, समय—समय पर जोधपुर नगर निगम द्वारा जेल प्रशासन के साथ समन्वय कर उनके द्वारा बताये सुरक्षात्मक कार्य करवाये जायेंगे एवं कचरे की बदबू रोकने हेतु प्रतिदिन कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है व कचरा स्थल शेड लगाकर कवर किया जाना प्रस्तावित है। आयुक्त, नगर निगम जोधपुर द्वारा यह भी बताया गया है कि अगर जेल प्रशासन जेल बाउण्ड्री के अन्तिम छोर पर 100′ X 100′ भूमि जेल परिसर में नगर निगम को उपलब्ध करा दें तो जोधपुर नगर निगम सूरत (गुजरात) मॉडल पर आधुनिक डम्पिंग यार्ड बना सकेगा।

2. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर द्वारा नगर निगम, जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 06.06.2016 पर अपनी टिप्पणी दिनांक 29.06.2016 को प्रेषित कर नगर निगम, जोधपुर को भूमि उपलब्ध कराना अस्वीकार किया गया है।

3. प्रथम दृष्ट्या मात्र दीवार ऊंची करने से समस्या का निदान होना प्रतीत नहीं होता है तथा केवल

दीवार ऊंची करना जेल के इतने करीब डम्पिंग यार्ड को जारी रखने के औचित्य को भी स्थापित नहीं करता है।

4. प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि नगर निगम, जोधपुर जो इस समस्या के निराकरण हेतु पूर्णतया जिम्मेदार है, द्वारा सुझाव दिया गया है कि 100′ X 100′ की जमीन पर आधुनिक डम्पिंग यार्ड बनाया जा सकता है। नगर निगम के अनुसार यह इस समस्या का स्थाई समाधान हो सकता है। इसका प्रयोग गुजरात के सूरत शहर में किया जा चुका है। प्रथम दृष्ट्या जेल परिसर के अन्दर भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग उचित प्रतीत नहीं होती है। नगर निगम द्वारा स्वयं के पास उपलब्ध भूमि पर आधुनिक यार्ड बनाया जा सकता है।

5. शहरों में नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा जगह–जगह डम्पिंग यार्ड बनाकर भारी अव्यवस्था व मानव जीवन दूभर करने की शिकायतें दसों साल से है। इस समस्या पर गम्भीरता से विचार कर मानव अधिकार आयोग को कार्यवाही करना आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता का वातावरण मानव का अधिकार है।

6. जिला कलक्टर, जोधपुर इस सम्बन्ध में नगर निगम, जोधपुर व जेल प्रशासन के सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक बुलाकर उचित निर्णय करें। क्योंकि नगर निगम, जोधपुर द्वारा आधुनिक डम्पिंग यार्ड बनाये जाने हेतु सुझाव दिया गया है, अतः जिला कलक्टर, जोधपुर इस प्रकरण तक ही सीमित नहीं रहकर इस बारे में भी अपने सुझाव प्रेषित करें कि क्या आधुनिक डम्पिंग यार्ड सूरत (गुजरात) मॉडल पर जोधपुर शहर में कहां–कहां और कितनी जगह बनाये जाने से बेतरतीब (Unplanned) डम्पिंग यार्ड की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आदेश की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, जोधपुर को तत्काल प्रेषित की जावे।

परिवाद दिनांक 07.09.2016 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या 16/22/3234 दिनांक 09.08.2016

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :– कृषि विश्व विद्यालय, मण्डोर, जोधपुर में खुले बंदी शिविर में बंदी से हल में जुतवा कर कृषि कार्य करवाने के विडियों का प्रसारण किया गया था। इसके

आधार पर प्रसंज्ञान लिया जाकर खुले बंदी शिविर में बंदी को हल में जोत कर खेती करवाने पर तत्काल प्रभाव से लगाने की अनुशंसा की गयी।

आदेशिका

1. कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर में खुला बन्दी शिविर संचालित है। उक्त खुला बन्दी शिविर में बन्दी श्री त्रिदीप एवं श्री कान्तिलाल को हल खिंचवाकर कृषि कार्यों में जुतवाया गया था व हल को पीछे से अन्य बन्दी श्री सोमजी पकडे हुए था। इस विडियो की क्लिप ई.टी.वी. राजस्थान द्वारा दिनांक 08.07.2016 को प्रसारित की गई थी जिसके आधार पर राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा इस घटना पर प्रसंज्ञान लिया गया व जिला कलक्टर, जोधपुर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

2. जिला कलक्टर, जोधपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.07.2016 द्वारा यह अवगत कराया कि जेल प्रहरी, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के अनुसार राजस्थान कैदियों के लिए खुली हवा शिविर नियम, 1972 के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार खुले शिविर में कैदियों से कृषि कार्य करवाया जा सकता है, किन्तु जेल प्रहरी की राय थी कि कैदियों से हल जुतवाने का कार्य ठीक नहीं है। कैदियों के बयानों के अनुसार हल चलाने का कार्य करने से मना करने पर उन्हें जेल भिजवाने हेतु कहा जाता है। रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि कठोर मिट्टी को पहले ट्रैक्टर, तवी एवं पाटा लगाकर भूमि को पोली एवं समतल किया जाता है एवं पोली हुई मिट्टी में बीज डालने हेतु पंक्ति बनाने के लिए उनसे इस हल से कार्य करवाया जाता है। जिला कलक्टर, जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार उपर्युक्त कार्य आवश्यकता अनुसार खुला बन्दी शिविर के बन्दियों से लगातार कराया जा रहा है। जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा ऐसे कार्य को किसी नियम अनुरूप नहीं माना गया है।

3. निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.07.2016 द्वारा हल के आकार की जानकारी एवं हल का वजन 6–7 किलोग्राम बताते हुए छोटी भूमि पर इस प्रक्रिया से खेती का कार्य करने का परोक्ष रूप से समर्थन किया है और यह भी बताया है कि इस प्रकार का उपयोग कृषि अनुसन्धान हेतु राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे देश में किया जाता है। ऐसे हाथ के हल का प्रयोग कई वर्षों से काजरी, जोधपुर सहित भारत के सभी कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। निदेशक द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.07.2016 में यह भी अंकित किया है कि इस सन्दर्भ में पूर्व में सन् 1997 में भी शिकायत की गई थी जिसका स्पष्टीकरण कृषि अनुसन्धान केन्द्र, जोधपुर के पत्रांक 6064–65 दिनांक 23.12.1997 द्वारा प्रेषित किया गया था।

4. जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 21.07.2016 के साथ संलग्न दस्तावेज, निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर द्वारा दिये गये जवाब के

साथ में दैनिक भास्कर (जोधपुर संस्करण) में दिनांक 22.12.1997 को ''जहां कैदियों को हल में जोता जाता है'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की फोटोप्रति भी संलग्न की है जिसमें कैदियों को हल में जोते जाने का समाचार विस्तार से प्रकाशित किया गया है तथा उक्त खबर के साथ ही निदेशक अनुसन्धान, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल, बीकानेर को प्रेषित जवाब दिनांक 23.12.1997 की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई है।

5. उपर्युक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि बन्दियों को हल में जोतकर कराया जाने वाला कृषि कार्य लम्बे समय से (कम से कम वर्ष 1997 के पूर्व से) चल रहा है तथा इसी प्रकार से मानव के प्रति व्यवहार पर आपत्ति भी वर्ष 1997 के पूर्व से है। जिला कलक्टर, जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार मानव को हल में जोतकर खेतों में जुताई का कार्य कराने के पक्ष में मुख्य रूप से 02 दलीलें दी गई है –

(i) छोटी जमीन पर इस प्रकार के अलावा कृषि कार्य नहीं हो सकता है।

(ii) जिस जमीन पर इस प्रकार से कृषि कार्य करवाया जाता है उस जमीन पर पहले ट्रैक्टर से तवी एवं पाटा लगाकर जमीन को मुलायम एवं समतल किया जाता है।

6. प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त अनुच्छेद में वर्णित दोनों बिन्दु स्वयं विरोधाभासी है। जहां एक ओर तो छोटा स्थान होने से जिस जगह ट्रैक्टर का उपयोग नहीं हो सकता उन स्थलों पर भूमि में कृषि कार्य हेतु बन्दियों द्वारा चलाया जाने वाला हाथ हल उपयोग में लिये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि दूसरी ओर कहा गया है कि कठोर मिट्टी को पहले ट्रैक्टर से तवी एवं पाटा लगाकर मुलायम एवं समतल करने के बाद पोली हुई मिट्टी में बीज डालने हेतु विवादित कार्य बन्दियों से कराये जाते हैं।

7. निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.07.2016 में दिया गया जवाब संतोषपूर्ण नहीं है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि मात्र कृषि कार्य ही नहीं अपितु सैंकडों ऐसे कार्य हैं जो मानव द्वारा (Manually) किये जाते हैं और ऐसे कार्यों का केवल मानव द्वारा ही किये जाने का उचित कारण उपलब्ध हो तो कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। परन्तु किसी मानव से इस प्रकार का कार्य करवाया जाना जिससे उसके मान–सम्मान एवं भावनाओं आदि पर किसी प्रकार की ठेस पहुंचती हो तो यह गम्भीर मामला है। निदेशक अनुसन्धान के जवाब से ऐसा कोई तथ्य भी प्रकट नहीं होता है कि बन्दी/मानव को बैल की भांति हल में जोतकर कृषि कार्य करने का कोई विकल्प नहीं है। यद्यपि निदेशक अनुसन्धान, अनुसन्धान निदेशालय, कृषि विश्वविद्यालय, मण्डोर, जोधपुर ने इस प्रकार से मानव के उपयोग को आम चलन में होना प्रकट करने का प्रयास किया है एवं इस हेतु उदाहरण भी दिये हैं, परन्तु वास्तविकता में अगर ऐसा आम चलन ही होता तो राजस्थान के प्रमुख अखबार में दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 को यह घटना समाचार नहीं बनती और न ही ऐसी घटना न्यूज टी.वी. चैनल

ई.टी.वी. द्वारा प्रसारित की जाती। अगर वर्ष 1997 में ऐसा समाचार प्रकाशित नहीं होता अथवा दिनांक 08.07.2016 को इस सम्बन्ध में ई.टी.वी. पर विडियो क्लिप प्रसारित नहीं होती तो भी यह एक गम्भीर विषय है जिस पर मानव अधिकार आयोग को गहराई से विचार करना होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है कि इस प्रकार का कार्य बन्दियों की स्वेच्छा से नहीं, बल्कि उन पर दबाव डालकर कराया जा रहा है। बन्दियों द्वारा अपने बयानों भी स्पष्ट कहा गया है कि हल चलाने का कार्य करने से मना करने पर उन्हें जेल भिजवाने के लिए कहा जाता है। जिला कलक्टर, जोधपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट धारणा प्रकट की है कि ''...................,परन्तु खुली जेल में कैदियों से इस तरह से हल जुतवाने का कार्य किसी नियम प्रावधानों पर आधारित होना नहीं पाया गया।''

8. तथ्यों की गम्भीरता को देखते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग इस विषय पर अंतरिम अनुशंषा राज्य सरकार को प्रेषित करना उचित समझता है कि इस प्रकरण के निस्तारण तक राज्य में किसी भी खुला बन्दी शिविर के बन्दी को हल में जोतकर खेती का कार्य करने से तत्काल प्रभाव से रोका जावे।

9. चूंकि बन्दियों के मानवाधिकारों की रक्षार्थ ही नहीं बल्कि राजस्थान राज्य में किसी विभाग द्वारा ऐसे कार्य करवाये जा रहे हैं तो यह प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः राज्य सरकार अपना पक्ष किसी सक्षम अधिकारी (कम से कम सचिव स्तर के अधिकारी) के मार्फत आयोग के समक्ष आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.09.2016 से पूर्व प्रेषित करें। इस आदेश की प्रति पालनार्थ मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को तत्काल प्रेषित की जावे।

परिवाद दिनांक 27.09.2016 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 13/10/1492 दिनांक 19.09.2016

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :– राज्य की लगभग तमाम सेवाओं में पेंशन प्रकरणों की गहनता से जांच कर आयोग के विभिन्न आदेशों से हजारों प्रकरणों का निस्तारण किया गया। नियोक्ता विभाग के हजारो कर्मियों को लाभ दिलाये जाने से पेंशन विभाग व विभाग में लंबित कार्य में भारी कमी आयी हैं।

आदेशिका

पेंशन से सम्बन्धित प्रकरणों में अत्यधिक देरी होने के कारण यह प्रकरण राज्य आयोग में दिनांक 10.04.2013 को पंजीकृत कर समय–समय पर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। निश्चित रूप से आयोग के तत्कालीन सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन द्वारा अत्यन्त गहनता से प्रत्येक बिन्दु पर विचार कर विभिन्न निर्देश जारी किये गये जिसके परिणाम स्वरूप आयोग के समक्ष पेंशन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण की बहुत ही अच्छी प्रगति प्रस्तुत की जा सकी जिसका उल्लेख किया जाना इस आदेश में अत्यधिक आवश्यक है।

तत्कालीन माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2016 को इस आदेश में समाविष्ट किया जाता है –

दिनांक 05.7.2016 परिवाद संख्या 13/10/1492

समक्ष : एकलपीठ

माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन

प्रस्तुत प्रकरण में आज श्रीमती संगीता सिंह, Sr.P.O., जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर, श्री जी.के. शर्मा. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं श्री उपकार बोराना, उप वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर आयोग के समक्ष उपस्थित आये, जिनसे विचाराधीन टी.ई. प्रकरणों के संबंध में चर्चा की गई। वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट क्रमांक वरि.अति.निदे. /सतर्कता/2016/302 दिनांक 5.07.2016 के अनुसार आयोग द्वारा इस प्रकरण में दखल देने के पश्चात् 6786 टी.ई. प्रकरण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हुये जिनमें से 6786 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है एवं 18 प्रकरण विचाराधीन हैं। उक्त रिपोर्ट तथा पिछले कुछ महिनों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि पिछले 5–6 महिने से पूर्व के समय की तुलना में काफी अधिक टी.ई. प्रकरण निस्तारण हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्राप्त होना शुरू हुआ है तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा भी इनके निस्तारण में काफी तेजी से कार्यवाही की जा रही है। अन्य विभागों से उपस्थित अधिकारियों से चर्चा करने पर यह पाया गया कि उन्हें राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से कोई विशेष परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उनकी केवल यह समस्या है कि अधिकतर वर्कचार्ज कर्मचारियों के

पदस्थापन पूर्व में 3–4 स्थानों पर रहने तथा उनके प्रकरण transfer होकर वर्तमान कार्यालय में नहीं पहूँचने के कारण देरी हो रही है। यह संबंधित विभागों के स्तर पर समाधान निकालने वाली समस्या है। अतः उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जहां से प्रकरण transfer कराना है, उसके लिये विशेष वाहक भिजवाया जाकर अब विचाराधीन समस्त प्रकरणों को चार महिने के अन्दर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित कार्यालय में पहुॅचाने हेतु व्यवस्था करें तथा इसकी सूचना नोडल अधिकारी वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवाई जावे ताकि उनके स्तर पर भी इसके निस्तारण हेतु उचित कदम उठाये जा सकें। अतिरिक्त वरिष्ठ निदेशक (सतर्कता) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्कचार्ज कर्मचारियों के कुल मिलाकर करीब 10000 के आस–पास प्रकरण हैं। आयोग के द्वारा दखल देने के उपरान्त इनके निस्तारण में तेजी आई है तथा आयोग की दखल के बाद 6768 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। अब करीब 2500 प्रकरण शेष होगें। उपस्थित अधिकारियों ने अवगत कराया कि 1019 वन विभाग में, 964 जल संसाधन विभाग में तथा 56 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में टी.ई. प्रकरण लम्बित हैं। उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार इन प्रकरणों के निस्तारण के लिये उचित कार्यवाही करें तथा प्रत्येक दो महिने में इसकी प्रगति रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करें।

पत्रावली दिनांक 19.09.2016 को प्रस्तुत हो।

(डा. एम.के. देवराजन)
सदस्य

इस प्रकार राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के दखल देने से कुल 6786 T.E. प्रकरण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त हुए जिनमें से 6768 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका था एवं मात्र 18 प्रकरण विचाराधीन थे। आयोग द्वारा यह भी पाया गया कि पिछले कुछ माह में पूर्व की तुलना में काफी अधिक T.E. 1प्रकरण निस्तारण हेतु राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को प्राप्त होना शुरू हुआ है व विभाग द्वारा भी इनके निस्तारण हेतु तेजी से कार्यवाही की गई है। यही नहीं बल्कि अन्य विभागों से उपस्थित अधिकारियों ने माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन को यह बताया कि उन्हें राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से कोई विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड रहा है। निश्चित रूप से आयोग द्वारा की गई कार्यवाही से बहुत ही अधिक संख्या में सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके

अधिकार के अनुसार लाभ प्राप्त हुए एवं साथ ही व्यवस्था में भी सारभूत सुधार हुआ। इससे न सिर्फ सेवानिवृत कर्मचारियों बल्कि राज्य सरकार के सभी विभागों को लाभ प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का कार्यभार बहुत ज्यादा है जो कम हुआ है।

राज्य आयोग द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों के 10,000 प्रकरणों के निस्तारण हेतु तेजी लाने में प्रयत्न करने से 10,000 में से 6768 प्रकरणों का दिनांक 05.07.2016 से पूर्व निस्तारण हो चुका है। लगभग 2500 प्रकरण विचाराधीन थे। इनमें से 1019 वन विभाग में, 964 जल संसाधन विभाग में तथा 56 प्रकरण जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में लम्बित थे। उन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु भी आदेश दिनांक 05.07.2016 में निर्देश प्रसारित किये गये थे।

इस प्रकरण के दर्ज करने से पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। पेंशन विभाग ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य विभागों में भी ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु मानवीय संवेदनाएं एवं जागरूकता बढी है। पुनश्च 10,000 प्रकरणों में से प्राप्त 6786 प्रकरणों में से 6768 प्रकरणों का निस्तारण होने से सेवारत कर्मचारियों का कार्यबोझ कम हुआ है।

राज्य आयोग का यह मत है कि कुछ प्रकरणों व सेवालाभ प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही अथवा प्रशासनिक कारणों से कुछ देरी हो सकती है, परन्तु मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जावे तो निश्चित रूप से इन तमाम देरियों से बचा जा सकता है। सरकार में सेवारत कर्मचारियों में यह जागरूकता बढाई जानी चाहिए कि सेवानिवृति के पश्चात एक व्यक्ति को अपनी वृद्धावस्था में अपने परिवार की बढी हुई जिम्मेदारियां कम आय से पूरी नहीं होती व सेवालाभ प्रत्येक कर्मचारी का अधिकार है, कोई दान दक्षिणा नहीं। आज के सेवारत कर्मचारी कल के पेंशनर होंगे, इस बात का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तात्पर्य यह है कि विधिक अधिकारों के तहत प्राप्त अधिकारों को प्रशासनिक व मानसिक शिथिलता के कारण विपरीत प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। पेंशनर्स जो भारत में एक बडा समाज है और जिन्हें समय पर पेंशन व सेवालाभ प्राप्त नहीं होता है उनके अधिकारों के लिए राज्य आयोग हर समय जागरूकता बढायेगा व राज्य सरकार तथा विभागों के तमाम कर्मचारियों से यह उम्मीद करेगा कि सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृति परिलाभ निश्चित रूप से कर्मचारी की सेवानिवृति दिनांक को प्रदान किया जावे तथा राज्य सरकार इस बिन्दु पर सुदृढ एवं प्रभावी व्यवस्था बनावें। मात्र छह माह से पुराना कोई पेंशन प्रकरण या सेवा परिलाभ किसी भी सूरत में नहीं रहे, चाहे ऐसा प्रकरण विभागीय कार्यवाही के कारण लम्बित हो। आयोग की इस टिप्पणी का यह तात्पर्य नहीं लगाया जावे कि सेवानिवृति लाभ प्रदान करने में छह माह का समय लगाया जा सकता है।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को इस आदेश की प्रति इस निर्देश के

साथ प्रेषित की जाती है कि सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन एवं परिलाभ दिये जाने में सरकार व विभागीय तन्त्र में राज्य आयोग द्वारा दखल करने से जो प्रगति हुई है उससे पेंशन विभाग व अन्य विभागों में कार्यभार कम हुआ है। उसका राज्य सरकार के सभी विभाग इस रूप में लाभ प्राप्त करें कि सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन व परिलाभ सम्बन्धी प्रकरण एवं विभागीय कार्यवाही के प्रकरणों के निस्तारण हेतु त्वरितता जारी रखी जावे व पुनः कार्यभार नहीं बढे।

इस अनुशंसा के साथ यह प्रकरण राज्य आयोग द्वारा निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 14/14/3126 दिनांक 05.10.2016
14/17/3493

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :— राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन एवं अन्य सेवा निवृति लाभ की गंभीर समस्या पर निर्देश दिये गये। परिवहन निगम में प्रतिमाह औसत रूप से 100 कर्मचारी सेवा निवृत होते हैं। इनकी मासिक देनदारी लगभग 10 करोड़ रू. है। वर्तमान में निगम पर लगभग 300 करोड़ रू. की यह देनदारी बन चुकी है। निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अवमानना प्रकरणों के कारण 113 कर्मियों के लगभग 970 लाख रू. का भुगतान किया गया। निगम द्वारा पेंशन भत्ते का भुगतान 1998 से नही किया जा रहा है। आयोग द्वारा पाया गया कि निगम की इस आर्थिक अव्यवस्था व निगम कर्मचारियों के मानव अधिकार हनन के संबंध में राज्य सरकार व निगम द्वारा पिछले 20 वर्षो से गंभीर तथ्य नहीं दिये गये। आयोग द्वारा टिप्पणी की गयी कि इस प्रकार से न्यायालय में अनावश्यक अवमानना प्रकरणों से सेवा निवृति लाभ प्राप्त करने का जरिया बना दिया गया है। लिटिगेशन नीति की पालना नहीं की गयी। निगम के पास इस समस्या के विरण हेतु कोई दृष्टि नहीं पायी गयी। वर्तमान समय में भी निगम 1.03 करोड रु. प्रतिदिन का

नुकसान उठा रहा है। राज्य सरकार व निगम को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

आदेशिका

पत्रावली आज मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति वर्ष 1998 से अब तक गम्भीर है। निगम द्वारा कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, अन्य परिलाभ, अधिश्रम भत्ते/साप्ताहिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश आदि का भुगतान वर्ष 1997–98 से नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की रिपोर्ट दिनांक 17 जुलाई, 2015 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

आयोग द्वारा आदेश दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को सचिव एवं महाप्रबन्धक (वित्त), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर से निम्नलिखित बिन्दुओं पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई थी–

1. निगम के सम्पूर्ण राजस्थान वर्ष वार किन कर्मचारियों की पेंशन बकाया है।
2. निगम द्वारा अधिकतम कितने दिनों/माह के विलम्ब से कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है।
3. निगम कर्मचारियों को अन्य देय परिलाभ सभी प्रकार के वर्ष वार कितनी राशि व कितने कर्मचारियों की बकाया है।
4. इस आर्थिक दुर्दशा से निगम को बाहर निकालने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं व अगर कोई कार्य योजना बनाई गई है तो वह कार्य योजना प्रस्तुत करें।

महाप्रबन्धक (वित्त) द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 04.10.2016 प्रस्तुत की गई है जिसमें अंकित बिन्दु संख्या 03 व 04 निम्न प्रकार से है –

> ''बिन्दु संख्या 3 :– निगम कर्मचारियों को देय सेवानिवृति परिलाभों का माह फरवरी, 2014 से ही भुगतान नहीं किया जा रहा है। निगम में प्रतिमाह औसत रूप से 100 कार्मिक सेवानिवृत हो रहे हैं एवं उनकी मासिक देनदारी लगभग 10 करोड रू. है। अतः ऐसे सेवानिवृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 3000 है एवं लगभग 300 करोड रू. की देनदारी है। इसमें से जून, 16 से सितम्बर, 16 तक माननीय न्यायालय से प्राप्त अवमानना प्रकरणों का 113 कर्मचारियों को लगभग 970 लाख रू. का भुगतान किया गया है। अधिश्रम भत्ते के भुगतान से पूर्व निगम द्वारा अंकेक्षण करवाया जा रहा है। फंड के अभाव में अधिश्रम भत्ते का भुगतान वर्ष 1998 से नहीं किया जा रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मानवीय आधार को दृष्टिगत रखते हुए सेवानिवृत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री की शादी पर, गंभीर बीमारी के इलाज हेतु एवं मृतक प्रकरणों में ग्रेच्युटी का भुगतान भी किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या 4 :– इन सेवानिवृत परिलाभों के भुगतान हेतु निगम द्वारा जयपुर एवं वैशाली नगर आगार की जमीन बेचान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस बेचान हेतु राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त हो गई है। उक्त भूमि 21257 वर्ग मीटर है व इसका डी.एल.सी. मूल्यांकन 260 करोड रूपये हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि उक्त बेचान की प्राप्त राशि से ही इस प्रकार की देनदारियों का भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा।''

उपर्युक्त रिपोर्ट पूर्णतया असंतोषजनक है। इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जो समस्या वर्ष 1997 में गम्भीर थी वह समय के साथ अत्यधिक गम्भीर होती रही व निगम में वित्तीय प्रबन्धन का पूर्ण अभाव रहा। राज्य सरकार द्वारा भी 20 वर्षों में कोई प्रभावी कदन नहीं उठाये गये। यही नहीं सन् 2016 के अन्त में महाप्रबन्धक (वित्त), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर ने निगम द्वारा इस समस्या से 20 वर्ष में बाहर निकलने के किसी प्रयत्न का जिक्र नहीं किया। निगम के पास सन् 2016 में भी वर्तमान में जो समस्या है उसके लिए सम्पत्ति बेचकर समस्या से छुटकारा पाने का प्रबन्ध किया है। भविष्य में किस प्रकार से निगम का वित्तीय प्रबन्धन होगा इसके बारे में कोई दृष्टि प्रकट नहीं की गई।

बिन्दु संख्या 3 के जवाब से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पेंशन भत्ते इत्यादि प्राप्त करने हेतु अचूक मार्ग सिर्फ न्यायालय में मुकद्मा पेश करने से ही नहीं बल्कि उसके बाद अवमानना प्रकरणों में आदेश पारित करने पर ही सेवानिवृत कर्मचारियों को भुगतान प्राप्त हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि राज्य की लिटीगेशन पॉलिसी की पालना नहीं की जा रही एवं अदालतों में वाद प्रस्तुत करने हेतु कर्मचारियों को मजबूर किया जा रहा है तथा न्यायालयों (मय उच्च न्यायालय) पर अनावश्यक मुकद्मों का बोझ बढाया जा रहा है। रिपोर्ट दिनांक 04.10.2016 के अनुसार अवमानना प्रकरणों के कारण निगम द्वारा 970 लाख रूपये का कर्मचारियों को भुगतान किया गया।

यह तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है कि इन देनदारियों में कितनी राशि ब्याज के कारण से निगम की जिम्मेदारी बनी।

आयोग द्वारा पूंछे गये प्रश्न संख्या 04 में किसी प्रकार की निगम की दृष्टि (Vision) नहीं होना और गम्भीर हो जाता है। महाप्रबन्धक (वित्त) ने बिन्दु संख्या 2 के जवाब में यह कथन किया है कि वर्तमान में भी निगम 01 करोड 03 लाख रूपये का प्रतिदिन नुकसान भोग रहा है। अतः प्रतिवर्ष 365 करोड से अधिक का घाटा निगम को हो रहा है।

राज्य सरकार द्वारा अपने खर्च घटाने हेतु कई बार कदम उठाना बताया जाता है तथा राज्य के लगभग तमाम विभागों में तमाम श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों के पद रिक्त होने से राज्य सरकार को स्वीकृत पदों के लिए वेतन व सेवालाभ देने का भार नहीं उठाना पड रहा तथा व्यवस्था विपरीत प्रभावित

हो रही है। परंतु निगम द्वारा दिये जा रहे घाटे में सुधार कर 20 वर्ष में भी कोई कदम नहीं उठाये गये, जबकि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जन सेवाओं का समयानुसार स्तरीय सुविधाओं का उपभोग कर सके।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर यह स्पष्ट करें कि निगम के पास में जो भी सम्पत्ति है मय जमीनें, बसें इत्यादि राज्य सरकार की थी (जो वास्तव में आम जनता की सम्पत्ति है)? अथवा राज्य सरकार द्वारा दी गई भूमि को निगम को बेचान किया गया था और यह भूमि निगम घाटा पूर्ति में काम ले सकता है।

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार यह भी स्पष्ट करें कि राज्य में परिवहन व्यवस्था में आज के समयानुसार 01 करोड 03 लाख रूपये का प्रतिदिन घाटा निगम किस प्रकार से दे सकता है।

क्या राज्य सरकार द्वारा इतने कमजोर वित्त प्रबन्धन के लिए निगम के किसी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर दण्डित किया है।

राज्य सरकार निगम के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को पालनार्थ उपलब्ध कराई जावे।

परिवाद दिनांक 09.12.2016 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 16/08/2509 दिनांक 05.10.2016

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :– **मकराना जेल में बंदी द्वारा थाना अधिकारी, मकराना के नाम से एक व्यक्ति को मोबाइल से फोन कर थाना अधिकारी, मकराना के बैंक खाते में तत्काल (आज ही) 2.00 लाख रु. जमा कराने हेतु कहा गया और उक्त व्यक्ति को मोबाइल फोन से कहा गया कि पुलिस थाना आकर थाना अधिकारी से रोकडी रु. लिये जावे। इस हेतु मोबाइल से एसएमएस भी भेजा गया । जेल से अपराधियों द्वारा अपराध कारित करने की जांच शुरू की गयी।**

आदेशिका

पत्रावली आज मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई। महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को इस परिवाद एवं जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 11.08.2016 की प्रतिलिपि प्रेषित की जावे।

जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि एक गम्भीर प्रकरण में जेल अधिकारियों द्वारा अनुसन्धान में कोई गम्भीरता नहीं बरती गई है।

परिवादी द्वारा दिनांक 14.05.2016 को मकराना पुलिस थाने में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि उसे थानाधिकारी मकराना इन्द्रराज मरोडिया के नाम से मोबाईल नम्बर 73405 28646 से बार–बार फोन कर श्री इन्द्रराज मरोडिया, थानाधिकारी मकराना के बैंक खाते में तत्काल (आज ही) 02.00 लाख रूपये जमा कराने हेतु कहा गया तथा उस फोन कॉल में परिवादी को यह भी कहा गया कि आप थाने आ जावो मैं रूपये रोकडी दे दूंगा। इस हेतु मोबाईल से संदेश (SMS) भी भेजा गया। परिवादी द्वारा इस बात की सूचना तत्काल कई अन्य व्यक्तियों को देकर अपने स्तर पर छानबीन कर यह पता लगा लिया गया कि उक्त टेलिफोन एक सुरेश तेली जो कि बीकानेर जेल में बंद है, के द्वारा किया गया था।

- ऊपर अंकित तथ्य बाबत् यह जांच नहीं की गई कि अगर कोई व्यक्ति थानाधिकारी के बैंक खाते में रूपये जमा कराने के लिए कह रहा है तो किस प्रकार से ऐसा व्यवहार किसी अपराधी का बिना किसी उद्देश्य के होता है? परिवादी का यह भी कथन है कि उसे कहा गया कि वह पुलिस थाना मकराना आकर रोकड रूपये प्राप्त कर ले। अतः जिस व्यक्ति के साथ धोखाधडी की जानी है उस व्यक्ति को धोखाधडी की तत्काल जानकारी हेतु मकराना पुलिस थाने आने का कहने से क्या तात्पर्य निकलता है।
- इस सम्बन्ध में भी कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं दी गई है कि तथाकथित बंदी सुरेश तेली के पास में मोबाईल कब व कैसे पहुंचा।
- यह भी अवगत नहीं कराया गया है कि किन परिस्थितियों में मोबाईल का उपयोग दिनांक 12.05.2016 को होने के दूसरे दिन सुरेश तेली से मोबाईल मय सिम जप्त कर लिया गया तथा यह भी नहीं बताया गया है कि उक्त जप्तशुदा मोबाईल से किन–किन नम्बर्स पर फोन किये गये थे, उक्त मोबाईल किस नाम से मोबाईल कम्पनी में दर्ज है तथा उक्त सिम किसके नाम से दर्ज थी। इस प्रकरण में केवल जेल अधिकारियों/कर्मचारियों को बचाने की चेष्टा ही नहीं बल्कि शेष तथ्यों

को छुपाये जाने का अधिक प्रयास किया जाना प्रतीत होता है।

क्योंकि यह प्रकरण जेल गतिविधियों से सम्बन्धित है। अतः महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को निर्देश है कि कारागृह से सम्बन्धित उपर्युक्त बिन्दुओं पर किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की जावे। महानिदेशक पुलिस, राजस्थान अपने स्तर पर भी जांच करवाकर इस मामले में किये गये अनुसन्धान के सम्बन्ध में आयोग को विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

परिवाद दिनांक 14.12.2016 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 15/22/4456 दिनांक 05.10.2016

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :–अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स,) जोधपुर के परिसर में एक दिन दिनांक 19.11.2015 को एक आवारा कुत्ते द्वारा दो संस्था से संबंधित व्यक्ति व एक नर्सिंग छात्र को काटे जाने के आधार पर प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया जाकर निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, (एम्स), जोधपुर व आयुक्त, नगर निगम जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गयी।

आदेशिका

पत्रावली आज मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्थान के दूसरे सबसे बडे शहर जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर के परिसर में एक आवारा कुत्ते द्वारा एक ही दिन दिनांक 19.11.2015 को दो डॉक्टर्स, दो विभाग से सम्बन्धित व्यक्ति एवं एक नर्सिंग छात्र को काटे जाने की सूचना राजस्थान पत्रिका दैनिक हिन्दी समाचार पत्र के दिनांक 21.11.2015 के अंक में प्रकाशित की गई जिसके आधार पर इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया गया।

निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर व आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को

उक्त समाचार की प्रतिलिपि भेजकर तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी। नगर निगम, जोधपुर को 03 अवसर दिये जाने के बाद भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर ने आयोग को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 19 जनवरी, 2016 से स्वीकार किया है कि दिनांक 19.11.2015 को शाम को लगभग 06.00 बजे एक आवारा कुत्ते द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर के आवासीय परिसर में दो डॉक्टर्स सहित 05 अन्य व्यक्तियों को काटा गया था जिन्हें ईलाज मुहैया कराया गया। जोधपुर नगर निगम को इसकी सूचना देने पर उक्त आवारा कुत्ते को पकडने हेतु अपनी टीम भी भेजी गई परन्तु नगर निगम की टीम के पहुंचने से पहले ही अन्य लोगों व एम्स के सुरक्षाकर्मियों ने कुत्ते को बाहर भगा दिया।

निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट को नहीं मानने का कोई कारण नहीं है और न ही नगर निगम, जोधपुर द्वारा इसका खण्डन किया गया है।

इस आदेश की एक प्रतिलिपि निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर को प्रेषित की जावे। निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर जिन दो डॉक्टर्स व अन्य व्यक्तियों को जिन्हें एम्स परिसर में आवारा कुत्ते ने काटा है उन व्यक्तियों के नाम व पते (जो भी उपलब्ध हो) आयोग को प्रेषित करें। निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर इस आदेश की प्रतिलिपि पीडित डॉक्टर्स को भी उपलब्ध करावें।

इस आदेश एवं निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रतिलिपि आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को प्रेषित की जावे।

आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर को यह नोटिस दिया जाता है कि दिनांक 19.11.2015 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर परिसर में आवारा कुत्ते द्वारा जिन व्यक्तियों को काटा गया है उन्हें हर्जाना निगम से क्यों नहीं दिलवाया जावे ? अगर हर्जाना दिलवाया जाता है तो कितना हर्जाना दिलवाया जावे आयोग को अवगत करावें।

परिवाद दिनांक 14.12.2016 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या 15/02/2286 दिनांक 30.11.2016

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :–जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एक बच्ची का बाया हाथ कोहनी से निचे से व दायां हाथ कंधे से काटे जाने की विद्युत दुर्घटना के प्रकरण में पीडिता के उपचार हेतु रु. 15000/– व क्षतिपूर्ति हेतु रु.4,00,000/– की अनुशंसा में यह शर्त लगाये जाने कि आप "एक शपथ पत्र जो तहसीलदार अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हो, जिसमें निगम के विरूद्व क्षतिपूर्ति राशि चाहने हेतु हमने किसी भी न्यायालय में निगम विरूद्व ना तो वाद दायर किया है, ना ही भविष्य में दायर करेंग" का शपथ पत्र पेश करने हेतु पीडिता के पिता को निर्देशित किया गया । आयोग द्वारा इस प्रकार की शर्त को पूर्णतया गैर कानूनी, अवैध व मामूली लाभ देकर वास्तविक क्षतिपूर्ति राशि अगर अधिक हो तो न्यायालय के मार्फत भी प्राप्त करने से रोकने की चेष्टा पर विद्युत कम्पनी से रिपोर्ट तलब की गयी तथा विद्युत कम्पनी को इस प्रकार के शपथ पत्र व अंडर टेकिंग के बगैर विद्युत कम्पनी द्वारा स्वीकृत राशि रु. 15000/– व 4,00,000 /– भुगतान करने के निर्देश दिये गये तथा टिप्पणी की गयी कि पीडिता के पिता हर्जानो के लिए अपना दावा भी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

आदेशिका

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अलवर वृत की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23 नवम्बर, 2015 व संलग्न जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

स्वयं विद्युत निगम की जांच के अनुसार दिनांक 27 मार्च, 2015 को लगभग 03.30 पी.एम. के पश्चात 11 के.वी. सहजादपुर फीडर का तार टूट कर गिरा, परन्तु तार जमीन से दो–तीन फुट ऊपर रह जाने के कारण जमीन को छू नहीं रहा था, जिसके कारण ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ एवं फीडर में विद्युत आपूर्ति जारी रही और इस कारण से मात्र 05 वर्ष की बच्ची कुमारी पायल खेलते हुए तार को हाथ से उठाकर नीचे से

निकलने की कोशिश करने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बच्ची का बायां हाथ कुहनी से नीचे व दायां हाथ कन्धे से काटना पडा, बच्ची का उपचार अभी जारी है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अलवर वृत के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को प्रेषित पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 2015 के अनुसार निगम द्वारा पीडित बालिका के हाथ काटने की एवज में पीडित बालिका के उपचार हेतु 15,000/– रूपये तथा 04.00 लाख रूपये क्षतिपूर्ति दिये जाने की अनुशंषा की है। पत्र दिनांक 23.11.2015 के अनुसार इस राशि को प्राप्त करने के लिए पीडित बालिका के पिता श्री धर्मवीर को सूचित किया गया कि आप ''एक शपथ पत्र जो तहसीलदार अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित हो जिसमें निगम के विरूद्ध क्षतिपूर्ति राशि चाहने हेतु हमने किसी भी न्यायालय में निगम विरूद्ध ना तो वाद दायर किया है, ना ही भविष्य में दायर करेंगे'' का शपथ पत्र पेश करें।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा पूर्णतया गैर कानूनी, अवैध व मामूली लाभ देकर वास्तविक क्षतिपूर्ति अगर अधिक हो तो, यहां तक कि न्यायालय के मार्फत भी लेने से रोक लगाने की चेष्टा की है। निगम यह स्पष्ट करें कि किस कानून के तहत दोषी विभाग द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि को न्यायालय में चुनौती देने से रोकने का प्रयत्न कर किसी व्यक्ति की मजबूरियों का फायदा लेने की चेष्टा की जा रही है। ऐसे कृत्य से सिर्फ गरीब व असहाय व्यक्ति, कानूनी की जानकारी नहीं रखने वाले व्यक्ति या अत्यधिक तत्कालिक जरूरत के कारण से जो भी राशि दोषी विभाग/निगम देवें उसे लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

एक बच्ची के दोनों हाथ कटने के पश्चात निश्चित रूप से क्षतिपूर्ति स्वयं निगम द्वारा 04.00 लाख व उपचार हेतु 15,000/– रूपये राशि स्वीकृत की जा चुकी है। अतः जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आदेश दिया जाता है कि पीडित बालिका के संरक्षक श्री धर्मवीर, निवासी ग्राम व पोर्ट मुण्डनवाला कला, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर को बिना किसी शपथ पत्र व अण्डटेकिंग के उपर्युक्त 04.00 लाख रूपये दिनांक 27 मार्च, 2015 से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के 01 माह बाद मय 15,000/– उपचार राशि भुगतान कर भुगतान की रसीद पेश करें। आदेश की प्रतिलिपि पालनार्थ सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, ज्योतिनगर, जयपुर को प्रेषित की जावे।

परिवादी श्री धर्मवीर को इस आदेश की प्रति तत्काल प्रेषित की जावे। पीडिता के पिता श्री धर्मवीर अपनी पुत्री के लिए जो भी हर्जाने का दावा पेश करना चाहें वह दावा आयोग में प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

परिवाद दिनांक 15.02.2017 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 12/17/1192 दिनांक 06.12.2016
12/02/1453

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पणः– सेना से सेवा निवृत परिवादी द्वारा स्वयं को बिना कारण बताये स्टेडिंग वारंट से गिरतार कर जेल में बंद करने व अदालत द्वारा परिवादी को दिनांक 22.09.2009 जमानत पर रिहा किये जाने से पीडित होकर परिवाद पेश किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद तथ्यों के विपरीत न्यायिक निर्णय में दिये गये निर्णय के विरूद्व दुर्भावना से परिवाद पेश करने के कारण परिवादी का परिवाद रु. 20,000/– के हर्जाने सहित निरस्त किया गया।

आदेशिका

परिवादी श्री देवीसिंह राजपूत द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 30 मार्च, 2012 के आधार पर परिवाद संख्या 12/17/1192 में आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 2012 द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया था। यही परिवाद राजपूत रेजीमेंट के पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2011 से आयोग को प्रेषित किया गया था जिस पर अलग से आदेश दिनांक 06 जून, 2012 द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया था।

परिवादी का आरोप है कि परिवादी सेना से सेवानिवृति उपरान्त दिनांक 31 जून, 2009 को अपने घर अलवर पहुंचा और दिनांक 18 सितम्बर, 2009 को राजस्थान पुलिस द्वारा स्टैण्डिंग वारण्ट के आधार

पर मुझे बिना कारण बताये गिरतार कर विराटनगर (जयपुर) कोर्ट के आदेश से कोटपूतली जेल में डाल दिया। परिवादी द्वारा कहे किसी कथन का पुलिस द्वारा ध्यान नहीं दिया गया व अदालत द्वारा दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को जमानत लेकर जमानत पर रिहा किया गया।

परिवादी को कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेजों से ज्ञात हुआ कि परिवादी का बिना वर्दी मिनि बस चलाने का चालान बनाया गया था, जबकि परिवादी उस समय सेना में तैनात था। अन्त में परिवादी 02 वर्ष अदालती कार्यवाही के बाद बरी किया गया था। इस आक्षेप के कारण से कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 24 सितम्बर, 2012 पेश कर बताया गया कि परिवादी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थाई वारण्ट जारी होने के कारण से परिवादी को गिरतार कर न्यायालय में पेश किया गया था। परिवादी का कथन था कि चालान की तारीख दिनांक 16 मार्च, 1994 को परिवादी सेना की ड्यूटी में था। राजपूत रेजिमेंट, आर.आर.सी., फतेहगढ, उत्तरप्रदेश से सूचना चाहने पर बताया कि परिवादी दिनांक 10.01.1993 से 25.03.1996 तक राजपूत रेजीमेंट में ड्यूटी पर रहा है, मगर दिनांक 16 मार्च, 1994 को ड्यूटी पर उपस्थित था या नहीं इस सम्बन्ध में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यह सूचना पत्र दिनांक 26.06.2012 से राजपूत रेजीमेंट द्वारा प्रदान की गई, परन्तु राजपूत रेजीमेंट के रिकॉर्ड ऑफिसर के पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2012 द्वारा सूचित किया गया कि पत्र दिनांक 26.06.2012 त्रुटिवश जारी किया गया जिसे रद्द समझा जावे। पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2012 की प्रति संलग्न की गई है।

तथ्यों से यह उचित समझा गया कि परिवादी के आपराधिक प्रकरण संख्या 52/94, राजस्थान राज्य बनाम देवीसिंह, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) विराटनगर (जयपुर) की पत्रावली तलब की जावे तथा इसके पश्चात परिवादी को समय–समय पर बयान दर्ज करवाने हेतु तलब किया गया। परिवादी विवादित वर्ष 1994 से सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्य जैसे चालक लाईसेंस, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड इत्यादि पेश करने के निर्देश के बावजूद अधूरे बयान के बाद आयोग को समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। परिवादी के विरूद्ध जमानती वारण्ट भी जारी किये गये जो परिवादी पर तामील हुए। एक अवसर पर परिवादी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर परिवादी को आगामी तारीख पर उपस्थित कराने हेतु अण्डरटेकिंग दी उसके पश्चात भी परिवादी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है।

अतः प्रकट होता है कि परिवादी जानबूझकर आयोग को जांच में सहयोग नहीं कर रहा है व सम्बन्धित दस्तावेज भी पेश नहीं कर रहा है इस सम्बन्ध में तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा परिवादी के विरूद्ध आदेश दिनांक 08.12.2015 में टिप्पणी भी की गई है।

परिवाद में अंकित तथ्यों व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि परिवादी को न्यायालय से जारी स्थाई वारण्ट की पालना में गिरतार किया गया है। परिवादी को माननीय न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया है। यही नहीं बल्कि माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) विराटनगर (जयपुर) द्वारा परिवादी के आपराधिक प्रकरण संख्या 52/94, राजस्थान राज्य बनाम देवीसिंह के निर्णय दिनांक 08 सितम्बर, 2011 में यह अंकित किया है कि स्वयं अभियुक्त ने भी अपने बचाव में plea of alibi लिया है उसके सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये हैं इसलिए उस तथ्य को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट है कि परिवादी का यह कथन कि वह दिनांक 16.03.1994 को मौके पर उपस्थित नहीं था व ड्राईविंग नहीं जानता था, माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है। परिवादी इस प्रकरण में दिनांक 16.03.1994 को घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होना व परिवादी द्वारा वाहन नहीं चलाना साक्ष्य से साबित नहीं कर सका है। परिवादी द्वारा राज्य कर्मचारियों को हैरान व परेशान करने के लिए यह परिवाद पेश किया है जो दुर्भावना पूर्वक है। अतः परिवाद संख्या 12/17/1192 व 12/02/1453 को 20,000/– रूपये खर्चा सहित खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सिविल राईट्स) राजस्थान, जयपुर तथा परिवादी श्री देवीसिंह को प्रेषित की जावे। पत्रावली इस आदेश से पत्रित की जाती है।

सचिव, राज्य आयोग माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम वर्ग) विराटनगर (जयपुर) से प्राप्त आपराधिक प्रकरण संख्या 52/94, राजस्थान राज्य बनाम देवीसिंह के निर्णय दिनांक 08 सितम्बर, 2011 की पत्रावली शील्ड कवर में उक्त न्यायालय में प्रेषित करवावें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या 12/17/1035 दिनांक 06.12.2016

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :–तेजाब के हमले से बुरी तरह से जख्मी दो बालिकाओं के प्रकरण में मुख्य मंत्री सहायता कोष से रु. 75,000/– व 25,000/– की राशि अलग अलग दिलायी गयी। आयोग द्वारा तथ्यों को देखते हुए आदेश दिनांक 18.11.2014 दोनों बालिकाओं को रु. 2,00,000/– और पीडित बालिकाओं के ईलाज के लिए संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने व पीडिताओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बालिकाओं की शिक्षा के अनुरूप राज्य सेवा में सरकारी नौकरी दिये जाने की अनुशंसा की गयी। पीडिताओं को आयोग के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति राशि दी गयी। परन्तु राज्य सेवा में नियमों का हवाला देकर नियुक्ति देने में असमर्थता जाहिर की गयी। नोटः– (केन्द्र सरकार द्वारा व राज्य सरकार द्वारा तेजाब हमला पीडितों को विशेष सहायता के नियमों में संशोधन किया जा चुका हैं।)

आदेशिका

परिवादिया दिनांक 05 फरवरी, 2011 को ट्युशन पढाकर घर आ रही थी और रास्ते में दो नामजद लडकों द्वारा तेजाब फेंककर परिवादिया की पुत्री को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तेजाब के कारण पीडिता का चेहरा झुलस गया व एक आंख भी खराब हो गई। पीडिता का जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय व एम्स, दिल्ली में रैफर करने से ईलाज किया गया। परिवादिया घर–घर जाकर झाडू–पौंछा व बर्तन साफ करने का कार्य करती है। परिवादिया को काई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होने पर यह परिवाद पेश किया गया था। प्रयास के पश्चात परिवादिया को मुख्यमन्त्री कार्यालय से 25,000/– रूपये का अनुदान दिया गया, परन्तु परिवादिया को 06 माह फार्टीस अस्पताल, दिल्ली में तथा बी.एल. कपूर अस्पताल, दिल्ली में कराये गये ईलाज का कोई खर्च नहीं दिया गया। इसके पश्चात मुख्यमन्त्री राहत कोष से पीडिता को 75,000/– रूपये और दिलवाये गये व अन्य पीडिता पदमा को 25,000/– रूपये की राशि प्रदान की गई। आयोग द्वारा अपने विस्तृत आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 2014 से पीडिता को निम्नलिखित सहायता की अनुशंषा की गई कि –

1. दोनों पीडिताओं को पृथक–पृथक रूप से 02–02 लाख रूपये राज्य की ओर से दिलाये जावें जिनमें पूर्व में अदा की गई राशि समायोजित की जा सकेगी।

2. उपर्युक्त पीडित बालिकाओं का ईलाज जितना भी सम्भव हो राज्य के खर्च पर कराया जावे।
3. दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पीडिताओं की शिक्षा के अनुरूप राज्य सेवा में नौकरी दी जावे।

आयोग के इस आदेश की अनुपालना में क्षतिपूर्ति राशि अदा करने हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 30.08.2016 से प्रदान की गई। पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2016 द्वारा बताया गया कि तेजाब से आहत/ग्रसित मरीज को शत–प्रतिशत चिकित्सा सुविधा एवं प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा राज्य के 07 चिकित्सा महाविद्यालयों में निशुल्क उपलब्ध है। परन्तु राजकीय सेवा में नियुक्ति कर अनेक आधारों पर मेरिट की उपेक्षा कर अधिकाधिक लोगों को नियुक्ति दिये जाने से राजकीय सेवाओं में गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पडने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस कारण राजकीय सेवा में पीडिताओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

यह प्रकरण आयोग के आदेश दिनांक 18 नवम्बर, 2016 की पालना हेतु ही विचाराधीन था। अतः इस प्रकरण को निस्तारित किया जाता है। आदेश व राज्य सरकार के निर्णयानुसार पीडिता चांदनी 01.00 लाख रूपये तथा पीडिता पदमा 01.75 लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है जिस हेतु वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30 अगस्त, 2016 से जारी की जा चुकी है। दोनों पीडितायें राज्य के 07 चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी रहेंगी तथा राजकीय सेवा में नियुक्ति की अधिकारिणी नहीं रहेंगी। आदेश की प्रति परिवादिया/पीडिताओं का उपलब्ध कराई जावे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 13/17/2152 दिनांक 20.12.2016

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :– राजस्थान आवासन मंडल, द्वारा निर्धन व्यक्तियों हेतु बहुमंजिला आवासीय योजना दिसंबर, 2005 में शुरू की गयी। पंजीकरण के समय प्रत्येक फ्लैट का अनुमानित विक्रय मूल्य रु. 2,85,000/– निर्धारित किया गया। भवन निर्माण वर्ष 2009 तक पूरा होना चाहिये था। कुल 4,096 फ्लैट बनने थे। कार्य आदेश के 10 वर्ष पश्चात भी आवंटियों को फ्लैट नहीं दिये जाकर व फ्लैट की

कीमत रु. 2,85,000/– से बढ़कार रु.7,49,000/– करने के विषय पर प्रसंज्ञान लिया जाकर आवासन मंडल व प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट, टिप्पणी व सुझाव आयोग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेशिका

राजस्थान की राजधानी जयपुर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी निर्धन हेतु बहुमंजिला आवासीय योजना लाई गई जिसका नाम द्वारकापुरी आवासीय योजना, प्रतापनगर रखा गया था। उक्त योजना दिसम्बर, 2005 से शुरू हुई थी। इस योजना में कुल 4096 लेट्स बनने प्रस्तावित थे। योजना के पंजीकरण के समय प्रति लेट का अनुमानित विक्रय मूल्य 02.85 लाख रूपये निर्धारित किया गया था। इस कार्य हेतु ठेकेदार को कार्यादेश दिनांक 22.08.2006 को दिया गया था। यह कार्य मार्च, 2009 तक पूरा होना था। वर्तमान में 1116 लेट्स बनाये जाकर आवण्टियों को कब्जा दिया जा चुका है, अर्थात् कार्यादेश से 10 वर्ष व कार्य पूरा करने हेतु नियत तिथि से 07 वर्ष से अधिक समय पश्चात भी 4096 लेट्स में से मात्र 1116 लेट्स का निर्माण कार्य कर कब्जा दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.08.2015 के अनुसार वर्तमान में (वर्ष 2015 में) लेट्स की कीमत 07.49 लाख रूपये आ रही है, अर्थात् योजना समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण से प्रति लेट 04.64 लाख रूपये आवण्टी को नुकसान हो चुका है। इसके अतिरिक्त आवण्टी गत 08–10 वर्ष से सम्पत्ति का उपयोग करने से भी वंचित रहा है। आज श्री एम.एस. हाडा राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से व श्री बालमुकुन्द शर्मा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित हैं। श्री हाडा ने बताया कि दिनांक 23.10.2015 से ठेकेदार द्वारा कार्य करना बन्द कर दिया है व इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नगरीय विकास विभाग के समक्ष विचाराधीन है तथा बकाया काम दूसरे ठेकेदार से करवाये जाने हेतु प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

आयोग के समक्ष समय–समय पर प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट्स से स्पष्ट है कि यह योजना एक विशाल योजना थी जिसमें निर्धन आय वर्ग के व्यक्तियों को उचित/कम लागत में आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जानी थी। मूल उद्देश्य निष्फल हो चुका है। निर्धन व्यक्तियों से जो भी राशि आवण्टन की प्लॉटिंग में सम्मिलित होने के लिए या उसके पश्चात ली गई उस अपनी ही पूंजी से निर्धन व्यक्ति वंचित हो गये। तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया गया कि लेट्स के निर्माण के लिए माईवान शटरिंग से कार्य करवाना प्रस्तावित था जिससे निर्माण कार्य में बहुत अच्छी गति प्राप्त होती है तथा इससे उच्च गुणवत्ता व कम कीमत में लेट्स बन सकते थे।

कार्यादेश से पूर्व इस तरह के निर्माण का पूर्ण अध्ययन भी किया गया था। ऐसे कार्य भारत के बडे शहरों में कुशलतापूर्वक किये जा चुके हैं। अतः इस तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि माईवान शटरिंग कार्य पद्धति कोई नई पद्धति नहीं थी। यह निर्माण पद्धति भारतवर्ष में ही सफलतापूर्वक अपनाई जाकर निर्माण की लागत कम की जा चुकी थी। आवण्टी निश्चित रूप से जब राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी ऐजेंसी/विभाग अथवा उपक्रम से कोई भी अनुबन्ध करता है तो निश्चित रूप से तथ्यों से प्रमाणित होता है कि आम व्यक्ति एक दबा हुआ इन्सान (Poorest) तथा असहाय होता है। स्वयं द्वारा पूंजी निवेश के पश्चात भी कई वर्षों तक अपने स्वयं के अनुबन्ध के तहत खरीदने का इकरार की हुई सम्पत्ति की निर्माण प्रगति में भी हिस्सेदार नहीं होता है। जो भी देरी विभाग और ठेकेदारों द्वारा की जाती है उसकी दोगुना तीनगुना हर्जाने की राशि ऐसे दबे हुए व असहाय व्यक्ति से वसूली जाती है। अगर सरकार/विभाग/सरकारी उपक्रम वसूली हेतु कार्यवाही करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जिन व्यक्तियों को वास्तविक नुकसान हुआ है (आवण्टी) के हर्जाने की वसूली हेतु कोई भी गणना सम्मिलित नहीं की जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक आदर्श राज्य (लोक कल्याणकारी राज्य) व उसके अधीनस्थ सिर्फ एक व्यापारी की तरह स्वयं के हुए घाटे अर्थात जो विभाग अथवा सरकार को अनुबन्ध भंग करने के लिए (Breach of contract) से मात्र राज्य सरकार/विभाग को हुए नुकसान अथवा अन्य व्यक्ति से कार्य करवाने पर राज्य सरकार/विभाग को जो नुकसान होता है उसी की क्षतिपूर्ति वसूली हेतु प्रावधान रखते हैं। आवण्टी, जैसा कि इस प्रकरण में है, अपने आप को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस करता है। यह एक विचारणीय बिन्दु है, क्या राज्य सरकार व इससे सम्बन्धित सभी विभाग व स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा जब कभी आवासीय योजना बनाई जावे तब उसमें जनप्रतिनिधियों (आवण्टियों में से) व लाभार्थियों (आवण्टियों में से) को ऐसे उपक्रम में भागीदार बनाया जाना चाहिए ताकि समय पर आवण्टी व्यक्तियों के हितों की रक्षा भी की जा सके व समय–समय पर उचित निर्णय लिये जाकर समय पर उत्कृष्ट स्तर का निर्माण कार्य उसी लागत में कराकर आवण्टी को उक्त सम्पत्ति प्राप्त हो सके।

आयोग पूरी तरह से इस तथ्य से जागरूक है कि भवन निर्माण कार्य में समय सीमा बहुत ही सुनिश्चितता से तय नहीं की जा सकती है। निर्माण के दौरान धरातल पर प्राप्त होने वाली कठिनाईयों व आवश्यकतानुरूप योजना में परिवर्तन किया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है इसके कारण भी निर्माण कार्य में देरी हो सकती है। इस कारण से होने वाली देरी का पूर्वानुमान मुश्किल होता है, परन्तु कितनी देरी उचित है इसका आंकलन तथ्यों से किया जा सकता है। इसी प्रकार कितनी देरी अनुचित है इसका आंकलन भी तथ्यों से किया जा सकता है। अनुचित देरी की कीमत लाभार्थी से नहीं वसूली जा सकती है।

किसी भवन निर्माण पर आवण्टन में किस प्रकार की राशि वसूल की जा सकती है इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों में सिद्धान्त भी प्रतिपादित किये जा चुके हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और इस प्रकार राजस्थान आवासन मण्डल को लगभग 44 वर्ष का कार्यानुभव है। जिस समय यह योजना प्रस्तावित की गई उस समय लगभग 34 वर्ष का अनुभव था ऐसी सूरत में आवासन मण्डल साधारणतया देरी के लिए अनुभव की कमी का आधार नहीं ले सकता है। इस प्रकरण में लगभग 3000 निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को उनके आवास से वंचित करना व 10 वर्ष पूर्व इन व्यक्तियों से ली गई आवण्टन राशि पर किस प्रकार से आवण्टी को ब्याज प्रदान किया जायेगा इसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल आयोग को उपलब्ध करायेंगे।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को इस आदेश की प्रति प्रेषित की जावे क्योकि प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन है। प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज्य के उच्च अधिकारी से प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा अनुमोदित जवाब निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रस्तुत करेंगे –

1. जयपुर की द्वारकापुरी आवासीय योजना में आवण्टियों से किस अन्तिम तारीख तक (चरणबद्ध) व कितनी–कितनी राशि प्राप्त की गई थी।
2. उक्त राशि पर कोई ब्याज देय है अथवा नहीं।
3. क्या लेट की कीमत 7.49 लाख रू. (2015) निर्धारित करते समय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आवासन मण्डल के प्रकरण में दिये गये दिशा–निर्देश/ आदेश की पालना करते हुए वही राशि सम्मिलित की गई है जिसकी अनुमति न्यायिक निर्णयों से प्राप्त है।
4. आवण्टियों को समय पर आवासीय लेट आवण्टित नहीं किये जाने के कारण से आवण्टियों को राज्य सरकार/नगरीय विकास विभाग/आवासन मण्डल द्वारा प्रति व्यक्ति हर्जाना क्यों नहीं दिलाया जावे।
5. क्या आवासन मण्डल की जन उपयोगी योजनाओं के कार्यादेश में ऐसा प्रावधान अनुबन्ध में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है कि अगर कार्यादेश के पश्चात समय में ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो ठेकेदार आवण्टियों को होने वाली हानि की राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे व उक्त राशि राज्य सरकार/विभाग/आवासन मण्डल ठेकेदार से प्राप्त कर आवण्टियों को अदा करेंगे? अगर ऐसा प्रावधान सम्मिलित नहीं किया जाता है तो इसका क्या

कारण है व आवण्टी राज्य सरकार/विभाग/आवासन मण्डल से हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी क्यों नहीं है।

इसी के साथ यहां पर यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार/विभाग/आवासन मण्डल कानून के समक्ष अनुबन्ध भंग करने की सूरत में एक आम नागरिक से ऊपर नहीं है (How ever you may be high above you is the law)। इन बिन्दुओं के अलावा अन्य बिन्दुओं पर भी राज्य स्तरीय नीति निर्धारण हेतु जो भी टिप्पणी आवश्यक है राज्य सरकार की ओर से आयोग को प्रेषित की जावे ताकि सम्पूर्ण बिन्दुओं पर विचार किया जा सके।

इसमें कोई दोराय नहीं है कि राज्य सरकार/विभाग/ आवासन मण्डल द्वारा जनहितार्थ कार्य कर आमजन व विशेष रूप से निर्धन व्यक्तियों को लाभ हेतु योजनाएं बनाई जाती है, परन्तु तथ्यों से प्रकट होता है कि राज्य सरकार/विभाग/आवासन मण्डल द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है उसकी पूरी कीमत लाभार्थी से वसूल की जाती है, चाहे वह लाभार्थी निर्धन वर्ग ही क्यों न हो। क्या द्वारकापुरी आवासीय योजना में राज्य सरकार द्वारा कुछ राशि अपनी ओर से सम्मिलित की गई है। क्या सम्पूर्ण राशि योजना की सम्पूर्ण राशि आवण्टियों से वसूल नहीं की जा रही है? अर्थात क्या इन लेट्स के आवण्टन/बेचान में किसी भी प्रकार की Subsidy दी जा रही है। इन सभी बिन्दुओं पर पूर्ण तथ्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।

आदेश की प्रति प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर तथा अध्यक्ष व आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित की जावे। ऊपर वर्णित बिन्दुओं पर अध्यक्ष व आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल तथा प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर विचार–विमर्श कर संयुक्त अथवा जहां पर समान हित नहीं हों अलग–अलग तथ्यात्मक रिपोर्ट्स व टिप्पणियां अपने सुझाव सहित आयोग को प्रेषित करें।

परिवाद दिनांक 30.03.2017 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या 12/24/681 दिनांक 10.01.2017

12/29/1005

08/10/3422

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :— **राजस्थान होमगार्ड परिवार कल्याण संस्था, कोटा की ओर से आयोग में परिवाद पेश किया गया कि राज्य में होमगार्ड के सेवा नियमों के कारण होमगार्ड व उनके परिवारों के मानव अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 1000/2010 होमगार्ड सैनिक एवं परिवाद कल्याण संघ एवं अन्य के प्रकरण में इनके सेवा नियमों में सुधार हेतु दिनांक 02.12.2011 को निर्णय भी दिया जा चुका है। जिसमें यह टिप्पणी भी की गयी है कि अगर याचिकाकर्ताओं को न्यायिक सहायता नहीं दी जाती है तो (माननीय) उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य में निर्वाह में चूक करेगा व परिवादियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकेगा। इस न्यायिक निर्णय का राजस्थान सरकार की ओर से किये गये कथन की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय राजस्थान सरकार पर बाध यकारी नहीं है। आयोग द्वारा टिप्पणी की गयी कि किसी भी उच्च न्यायालय का निर्णय जो बाध्यकारी नहीं होने का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसे निर्णय को किसी भी सूरत में नही माना जावेगा। आयोग द्वारा मानव अधिकारों के सार्वभौमिक उद्घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 23,25 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(2) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 इत्यादि के वैधानिक प्रावधान का विवेचन कर टिप्पणी की गयी कि ''किसी व्यक्ति के दबे हुए (Oppresses) होने के कारण से अगर कोई कार्य लिया जाता है तो निश्चित रूप से यह एक बेगार तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(2) से प्रतिबंधित है।'' इस प्रकार भी भावना आदर्श राज्य की परिकल्पना के विपरीत है। आयोग द्वारा अनुशंसा की गयी कि :—**

1. राज्य सरकार होमगार्डस की कार्यदशा, वेतन—भत्ते, सेवाशर्ते, पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा आदि के बारे में विचार करने के लिए समिति का गठन करें।

2. उक्त समिति के निर्णय लेने तक अंतरित तौर पर होमगार्डस को न्यूनतम मूल वेतन (रनिंग पे स्केल व भत्तों के लिए) दिये जाने पर गंभीरता से विचार करे।
3. रोटेशन प्रणाली से होमगार्डस को ड्यूटी पर लेने की प्रक्रिया समाप्त कर इन्हें पूरे वर्ष कार्य पर लिये जाने पर विचार करें।
4. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देशों की मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से कार्यवाही की गयी है ? उसके अनुरूप राज्य में भी होमगार्डस को लाभ प्रदान किया जावे।

आदेशिका

राजस्थान होमगार्ड्स परिवार कल्याण संस्था, कोटा व श्रीमती सुमन भारद्वाज, मोहनलाल सेठी तथा श्री साधूसिंह गिल ने आयोग के समक्ष अलग–अलग परिवाद प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया कि होमगार्ड्स सैनिक विगत 50 वर्षों से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य निर्वहन करते आ रहे हैं। उपर्युक्त तथ्य आयोग के आदेश दिनांक 18 मार्च, 2015 में निम्न प्रकार से अंकित किये –

''संजू देवी मीणा, अध्यक्ष, राजस्थान होमगार्ड्स परिवार कल्याण संस्था, कोटा व श्रीमति सुमन भारद्वाज, मोहनलाल सेठी तथा साधुसिंह गिल ने आयोग के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में यह व्यक्त किया है कि होमगार्ड सैनिक विगत पचास वर्षों से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य निर्वहन करते आ रहे हैं। वे चुनाव कार्य तथा किसी भी आपातकाल परिस्थिति में हमेशा कर्तव्य पालन के लिए तत्पर रहते हैं, फिर भी उन्हें अकुशल श्रमिक के बराबर वेतन मिलता है। उन्हें वर्ष में केवल 05–06 महीने ही कार्य पर लिया जाता है। उनकी रोटेशन प्रणाली से ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे 100 में से केवल 30–40 होमगार्ड जवानों को ही ड्यूटी पर लिया जाता है। उन्हें पुलिस के समकक्ष ट्रेनिंग दी जाती है किन्तु सरकार द्वारा उपेक्षित होने से बंधुआ मजदूरों की तरह जीवन जीने पर विवश होना पड रहा है। इन परिवादों में इस बात पर जो दिया गया है कि मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर आधारित, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय राजस्थान राज्य के होमगार्ड पर लागू किया जावे। उक्त निर्णय में यह कहा गया है कि राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी/कमीशन का गठन किया जावे जो होमगार्ड की सेवा शर्तों को नियन्त्रित करने के लिए नियम, अधिनियम बनाने के लिए सुझाव दे सके। होमगार्ड कर्मियों को पुलिस के सिपाही की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम मूल वेतन दिया जावे तथा सभी को पूरे वर्ष रोजगार दिया जावे।''

इसी प्रकार की आपत्तियां श्री बलेन्द्र कुमार व अन्य तथ्य स्वयं सेवक (गृह रक्षा दल) श्रीगंगानगर की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित की गई तथा उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति आयोग को प्रेषित की गई है।

संजूदेवी ने माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा रिट पिटिशन संख्या 10000/2010 Home Guard Sainik Evam Pariwar Kalyan Sangh & ors, Nasharam Parihar & ors and Rajendra Prasad Mishra & ors v/s State of Madhya Pradesh & Anr व इसके साथ संलग्न रिट याचिकाओं पर पारित आदेश की प्रतिलिपियां संलग्न की तथा आयोग को अवगत कराया कि समान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के लिए अनुच्छेद संख्या 49 में अंकित निर्देश जारी किये। माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा आदेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 में यह अंकित किया है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय याचिकाकर्ताओं को आदेश में दी गई न्यूनतम न्यायिक सहायता नहीं देता है तो माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश अपने कर्तव्य के निर्वाह में चूक करेगा व परिवादियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकेगा। माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश ने कुछ आशाओं के साथ मध्यप्रदेश सरकार को निर्णय लेने हेतु समय प्रदान किया और जब तक राज्य सरकार अन्तिम निर्णय नहीं ले तब तक याचिकाकर्ताओं को अन्तरिम सहायता दी जायेगी।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के समक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 से अवगत से अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के निर्णय दिनांक 02 दिसम्बर, 2011 की पालना में मध्यप्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की है इस बारे गृह विभाग, राजस्थान के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवादी को भी इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि इस सम्बन्ध में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

आयोग द्वारा नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा मुख्यालय से इस प्रकरण में टिप्पणी मांगी गई। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा मुख्यालय ने अपने पत्र दिनांक 01 मई, 2012 द्वारा अवगत कराया कि सन् 1962 में बाह्य आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा संगठन की स्थापना की गई। गृह रक्षा संगठन युद्ध एवं शान्तिकाल समाज तथा उसकी सम्पत्ति की सुरक्षा का कार्य करता है। शान्तिकाल में आन्तरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस के सहायक की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। देशप्रेम व समाज सेवा से प्रेरित कार्य ही इसकी शक्ति है। होमगार्ड अधिनियम, 1963 व राजस्थान होमगार्ड संशोधित नियम, 2009 के तहत गृहरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है जिसके जवानों को रोटेशन से

उपलब्ध ड्यूटियों पर नियोजित किया जाता है। (1) होमगार्ड स्वयंसेवकों को ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन 200/— रूपये मानदेय देय है। (2) ड्यूटी के दौरान बीमार एवं दुर्घटना होने पर वेलफेयर फण्ड से दवाओं की राशि का पुनर्भरण दिया जाता है। (3) मृत्यु होने पर वेलफेयर फण्ड से 50,000/— रूपये व (4) एक्सग्रेसिया ग्रांट 10.00 लाख रूपये तथा (5) सामूहिक बीमा क्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। होमगार्ड के जवान (1) कानून व्यवस्था, (2) आन्तरिक सुरक्षा, (3) यातायात नियन्त्रण, (4) चुनाव ड्यूटी, (5) बाढ नियन्त्रण, (6) अग्निशमन, (7) बचाव कार्य, (8) जेल सुरक्षा, (9) शिक्षा व स्वास्थ्य से जुडी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने कर्तव्यों का पूर्ण जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। (10) वे पुलिस कानि. के समान ही जिम्मेदारी से कार्य करते हैं फिर भी उन्हें पुलिस कानि. से बहुत कम वेतन भत्ते व अन्य सुविधायें प्राप्त हैं। होमगार्ड को स्वयंसेवी के नाम पर कम वेतन, भत्ते व सुविधाऐं दिया जाना मानव अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन है तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के नियम का भी उल्लंघन है।

यहां मानव अधिकारों के सार्वभौमिक उद्घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 23 का उल्लेख महत्वपूर्ण है जो निम्न प्रकार से है :—

"1. प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, अपनी पसंद के अनुसार रोजगार को चुनने, न्यायोचित तथा अनुकूल परिस्थितियों में काम करने एवं बेरोजगारी से संरक्षण पाने का अधिकार है।
2. प्रत्येक व्यक्ति को, बिना किसी भेदभाव के समान काम करने के लिए समान वेतन का अधिकार है।
3. काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इतना न्यायोचित एवं अनुकूल पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपने तथा अपने परिवार के लिए मानव प्रतिष्ठा के अनुकूल आजीविका की व्यवस्था कर सकेगा तथा आवश्यक होने पर सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसकी पूर्ति हो सकेगी।
4. प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमजीवी संघ बनाने और उसमें शामिल होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 25 के अनुसार —

प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो उसके परिवार के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए उपयुक्त हों, जिसमें खाद्य, परिधान, आवास और चिकित्सा व्यवस्था और आवश्यक सामाजिक सेवायें और बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, वैभव, वृद्धावस्था या अपने वश से बाहर परिस्थितियों में आजीविका के साधन लुप्त हो जाने की स्थिति में संरक्षण के अधिकार शामिल हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 38 (2)(2) के अनुसार –

राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 41 के अनुसार –

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबन्ध करेगा।''

इन तथ्यों पर गहन अध्ययन के बाद राज्य आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा राज्य सरकार को निम्नांकित अनुशंसा की –

1. राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होमगार्ड्स संशोधित नियम, 2009 में होमगार्ड्स की कार्यदशा, वेतन, भत्ते, सेवाशर्तें, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं आदि के बारे में विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लेने तक अंतरिम तौर पर होमगार्ड्स को पुलिस कानि. का न्यूनतम मूल वेतन (रनिंग पे–स्केल व भत्तों के बिना) दिये जाने पर गम्भीरता से विचार किया जावे।
3. रोटेशन प्रणाली से होमगार्ड्स को ड्यूटी पर लेने की प्रक्रिया समाप्त कर उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त गठित समिति द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा Home Guard Sainik Evam Pariwar Kalyan Sangh & ors, Nasharam Parihar & ors and Rajendra Prasad Mishra & ors v/s State of Madhya Pradesh & Anr 10000/2010, 8281/2011(s)18526/2010(s) रिट याचिकाओं में मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2011 में की गई अनुशंसाओं पर आधारित निर्णय दिनांक 02.12.2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? का भी अध्ययन करवाया जावे।

इस अनुशंसा आदेश दिनांक 18 मार्च, 2015 द्वारा राज्य सरकार को 03 माह में निर्णय लेने का समय दिया गया, परन्तु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.03.2015 से अब तक यानि 10 जनवरी, 2017 तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग के उप शासन सचिव के मार्फत पत्र दिनांक 29.09.2016 से सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श करने हेतु गठित

मन्त्रीमण्डलीय उपसमिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर दिया है। समिति द्वारा प्रकरण में निर्णय लिया जायेगा। समिति द्वारा वांछित निर्णय लिये जाने के पश्चात ही आयोग को निर्णय से अवगत कराया जा सकेगा।

यह प्रकरण आयोग के समक्ष सन् 2008 से 2012 से विचाराधीन है। होमगार्ड के जवानों को दिये जाने वाले सेवा प्रतिफल के नाम पर कुछ भी दिया जा सकता है जैसे होमगार्डस के लिए मानदेय शब्द काम लिया गया है। होमगार्ड्स को ड्युटी के दौरान 200/– रूपये प्रतिदिन दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अस्थाई तौर पर प्रतिदिन 200/– मानदेय पर कार्य करता है तो यह तथ्य स्वतः स्पष्ट करता है कि ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों से दबा हुआ है व अपने मान–सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ है। किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति के दबे हुए (Oppressed) होने के कारण से अगर कोई कार्य लिया जाता है तो निश्चित रूप से यह एक बेगार तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से प्रतिबन्धित है। एक आदर्श राज्य में हमेशा यह बात की जाती है कि अगर आर्थिक भेदभाव या आर्थिक स्थिति में दूरियां समाप्त नहीं की जा सकती है तो कम से कम इन दूरियों में कमी लाई जायेगी। परन्तु व्यवहारिक रूप से एक ओर तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए छटे वेतन आयोग का फायदा देने के पश्चात सातवें वेतन आयोग के लाभ दिये जा चुके हैं या दिये जाने वाले हैं। जब निम्नतम स्तर के वेतन व मानदेय का विषय आता है तो कई वर्ष तो यह निर्णय लेने में लग जाते हैं कि इस सम्बन्ध में निर्णय कौन लेगा, और निर्णय लेना तय करने के लिए जब समय आता है तो कमेटियां गठित की जाती है, जब कमेटी गठित की जाती है तो कमेटी कब निर्णय लेगी यह भी कमेटी के विवेक पर ही निर्भर करता है। हर सूरत में भुगतना दबे हुए व्यक्ति (Oppressed person) को ही पडता है। आयोग का स्पस्ट मत है कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति में संवेदनशीलता विकसित नहीं होगी तब तक मात्र कागजी आदेश रहेंगे।

यह खेद का विषय है कि एक राज्य की ओर से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी की जाती है कि दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय का निर्णय राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। काश, राज्य सरकार यह पक्ष रखती कि हमने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.12.2011 का सविवेक विवेचन कर यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त निर्णय राज्य की विशेष परिस्थितियों या तथ्यों की भिन्नता के कारण राज्य में या विशिष्ट सेवा में लागू किया जाना उपयुक्त नहीं है। ऐसा राज्य सरकार को हक था, परन्तु इसके स्थान पर मात्र यह कहा गया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राज्य में बाध्यकारी नहीं है। क्या कोई निर्णय जो उच्च न्यायालय का भी नहीं, किसी संस्था या कमेटी का हो या किसी व्यक्ति का हो, जो किसी पर बाध्यकारी नहीं है, के लिए राज्य सरकार यह कह सकती है कि उपर्युक्त राय/सुझाव बाध्यकारी नहीं हैं इसलिए ये राय/सुझाव उचित नहीं हैं। इस

सम्बन्ध में राज्य आयोग का मत है कि चूंकि राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा दिनांक 18 मार्च, 2017 को 02 वर्ष से अधिक समय व लगभग 03 वर्ष के आसपास तक अस्वीकार नहीं की गई है। अतः निम्नलिखित अनुशंसा को इस आदेश से अन्तिम अनुशंसा की जाती है :–

1. राज्य सरकार द्वारा होमगार्ड्स अधिनियम, 1963 एवं राजस्थान होमगार्ड्स संशोधित नियम, 2009 में होमगार्ड्स की कार्यदशा, वेतन, भत्ते, सेवाशर्तें, पेंशन, चिकित्सा सुविधाएं आदि के बारे में विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जावे। (समिति का गठन कर पालना की जा चुकी है)
2. राज्य सरकार द्वारा गठित की जाने वाली उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लेने तक अंतरिम तौर पर होमगार्ड्स को पुलिस कानि. का न्यूनतम मूल वेतन (रनिंग पे–स्केल व भत्तों के बिना) दिये जाने पर गम्भीरता से विचार किया जावे।
3. रोटेशन प्रणाली से होमगार्ड्स को ड्यूटी पर लेने की प्रक्रिया समाप्त कर उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त गठित समिति द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा Home Guard Sainik Evam Pariwar Kalyan Sangh & ors, Nasharam Parihar & ors and Rajendra Prasad Mishra & ors v/s State of Madhya Pradesh & Anr 10000/2010, 8281/2011(s)18526/2010(s) रिट याचिकाओं में मध्यप्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2011 में की गई अनुशंसाओं पर आधारित निर्णय दिनांक 02.12.2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई, का भी अध्ययन करवाया जावे तथा यह भी अनुशंषा की जाती है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का राज्य को किस प्रकार लाभ प्राप्त हो सकता है।

इन अन्तिम अनुशंसाओं के साथ आयोग के समक्ष विचाराधीन इन प्रकरणों का इस खेद के साथ निस्तारण किया जाता है कि आजीविका/मानदेय, जिस सेवा को वर्ष 1962 में युद्ध के समय शुरू किया गया और जिस सेवालाभ के सम्बन्ध में परिवाद सर्वप्रथम वर्ष 2008 में आये और आयोग इन प्रकरणों का निस्तारण 08 वर्षों बाद कर रहा है और इसका कारण राज्य सरकार के निर्णय नहीं लेने के दोष के कारण से देरी होना है।

आयोग राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि राज्य सरकार नियमानुसार इस अन्तिम अनुशंसा को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 व राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के विनियम, 2001 के तहत अग्रिम कार्यवाही करें। आदेश की प्रति मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर,

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर तथा इन परिवादों के परिवादियों को प्रेषित की जावे।

परिवाद संख्या 12/24/681, 12/29/1005 व 08/10/3422 निस्तारित किये जाते हैं।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 17/17/454 दिनांक 02.02.2017

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :– '' लिव इन रिलेशनशिप ''– इससे उत्पन्न पुरूष–महिला के संबंध/अधिकार – Protection of women form Domestic Violence Act, 2005 के प्रावधानों से क्या महिलाओं के अधिकरों की समुचित सुरक्षा होती है ? ऐसे रिश्तों के कुप्रभाव पर विचार करने हेतु स्व प्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर विचार शुरू किया गया।

आदेशिका

लिव इन रिलेशनशिप के आधार पर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों के आधार पर यह अलग से एक प्रकरण दर्ज किया जाता है, ताकि किसी व्यक्ति विशेष की पहचान प्रकट नहीं की जावे।

भारत में लगभग प्रत्येक जाति व धर्म में विवाह–प्रथा प्रचलित है। विवाह सम्पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया व प्रथाएं प्रचलित हैं। अधिकांश शादियां व्यक्तिगत कानून (personal law) से सम्पन्न कराई जाती है, अन्यथा कानून से मान्यता प्राप्त तरीके से सम्पन्न कराई जाती है। शादी हेतु आवश्यक तत्व व रीति–रिवाज की अनुपालना नहीं करने पर कई शादियां वैध नहीं होकर कानूनन अवैध कहलाती हैं। विभिन्न शादियों में विभिन्न प्रकार के योग्यता मानदण्ड व अयोग्यता अंकित है। कितनी शादियां की जा सकती है यह भी व्यक्ति पर लागू कानून (personal law) से नियन्त्रित है। शादी पवित्र रिश्ता (sacrosanct) होती है व शादी एक अनुबन्ध (contract) भी होती है। एकल विवाह प्रथा व बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित है। परन्तु मूल तत्व में विवाह होना चाहिए और विवाह कानून की पालना होनी चाहिए, चाहे कानून लिखित हो या रिवाजी (customary)। व्यक्ति के लिए कहा गया है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, किसी भी व्यक्ति के इस

अधिकार को बहुत ही अधिक महत्व कानून, प्रथा व समाज द्वारा दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्द्रा शर्मा बनाम वी.के.वी. शर्मा (2013) 15 SCC 755 में कहा है कि शादी अधिकांशतः स्त्री–पुरूष का एक मूल नागरिक अधिकार (civil right) है। शादी पुरूष व स्त्री द्वारा स्वेच्छा से जनता की जानकारी में रीति रिवाज से (in a formal way) की जाती है। एक बार शादी की रश्म पूरी हो जाती है तो व्यक्ति पति–पत्नि के रूप में पहचाने जाते हैं। शादी के महत्वपूर्ण तत्व है, शादी के लिए स्वीकृति, पति–पत्नि के रूप में साथ रहना, आमजन को यह बतान कि यह व्यक्ति शादीशुदा है। एक ही मकान में रहना व साथ रहने का कर्तव्य शादी का अंग (consortium onmis vitae) है। शादी के साथ में पति–पत्नि के साथ रहने की जिम्मेदारी व एक–दूसरे को सहना व इसके उचित विशेष अधिकार, सच्चे एवं विश्वासी होते हैं। शादी एक प्रथा (institution) है जिसका कानून में अत्यधिक महत्व है। शादी से कई सारी जिम्मेदारियां स्वतः प्राप्त होती हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस कारण से शादी के लिए कानूनी आवश्यकताएं, रीति, प्रचार व दूसरे को इससे बाहर करने (exclusivity) व शादी के कारण से जो भी परिणाम होते हैं, उन रिश्तों को स्वीकार करना आदि महत्वपूर्ण है।

उदाहरणस्वरूप हिन्दू विवाह, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 से नियन्त्रित होता है। हिन्दू विवाह में धारा 5 में वैध शादी के लिए शर्तें उल्लेखित की गई हैं जिनमें अगर कोई व्यक्ति के पूर्व से पत्नि/पति है या विवाह स्वीकृति देने में मानसिक अयोग्यता से असमर्थ है अथवा कोई पक्षकार मानसिक बीमारी से ग्रसित है अथवा संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है अथवा लगातार पागलपन के दौरों का शिकार है तो व्यक्ति शादी की योग्यता नहीं रखता है, शर्त के अनुसार कन्या/महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष व पुरूष की उम्र 21 वर्ष शादी के समय होना आवश्यक है। धारा 5 के भाग (IV) के अनुसार शादी के पक्षकार किसी प्रतिबन्धित रिश्ते में नहीं होने चाहिए जब तक कि इस हेतु रीति रिवाज जो पक्षकारों पर लागू हों, स्वीकृति नहीं दे देते। धारा 5 (B) के अनुसार शादी के पक्षकार सपिण्डा नहीं होने चाहिए, परन्तु शादी के पक्षकार के रीति–रिवाज इसकी अनुमति दें, तो शादी हो सकती है।

शादी की रीति धारा 7 में बताई गई है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि शादी के उपरान्त शारीरिक सम्बन्ध अन्य व्यक्ति से स्थापित करने पर कुछ परिस्थितियों में दण्डनीय अपराध भी है। बिना शादी से उत्पन्न बच्चों के लिए अवैध सन्तान का नाम भी दिया गया है। परन्तु इसमें बच्चों की न तो गलती है और न ही उनके द्वारा किया गया कोई अवैध कार्य। बिना शादी के उत्पन्न बच्चों को कुछ अधिकार से भी कानूनन वंचित किया हुआ है। इन बच्चों की मानसिकता, इन बच्चों पर बिना शादी के उत्पन्न होने से परिवार, स्कूल, कॉलेज व समाज के व्यवहार से होने वाले प्रभाव मानव अधिकार से संबंधित है।

DV Act of 2015 की प्रस्तावना में प्रकट किया गया है कि भारत में महिलाओं को और अधिक प्रभावशाली सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानून, "Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005" (संक्षेप में DV Act, 2005) बनाया गया। DV Act में बिना विवाह के शादी के रिश्ते की तरह साथ रहने वाले स्त्री–पुरूष के जीवन को Domestic Relationship, जिसे साधारणतया "Live in Relationship" कहा जाता है, मान्यता प्रदान की गई है। मानव अधिकार आयोग के समक्ष इस विषय पर कुछ प्रकरण आये हैं। इन प्रकरणों पर विचार करते समय अत्यन्त महत्वपूर्ण व मानवता को प्रभावित करने वाले प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। अतः यह प्रकरण स्व–प्रेरणा से दर्ज करना आवश्यक हुआ है।

इसका एक और कारण है, वह यह कि इस सम्बन्ध में विवाद नहीं हो सकता है एवं अगर विवाद करें तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय के इन्द्रा शर्मा केस में यह घोषित किया गया है कि Domestic Violence एक विवाद रहित मानव अधिकार का विषय है। माननीय उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय में यह भी अंकित किया है कि इस मानव अधिकार पर पूरी तरह से भारत में ध्यान नहीं दिया गया है। अतः इस कारण भी मानव अधिकार आयोग को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है।

DV Act, 2005 में Live in Relationship को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

"2.(f) 'Domestic relationship' means a relationship between two persons who live or have, at any point of time, lived together in a shared household, when they are related by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption on are family members living together as a joint family;"(Emphasis Supplied)

इस प्रकार से बिना शादी के अगर दो व्यक्ति शादी जैसे रिश्ते के साथ, किसी समय में रहे हैं या रहते हैं व Act of 2005 की धारा 2.(f) में आते हैं, तो ऐसे रिश्ते की महिलाओं को सुरक्षा, अधिकार व लाभ Act of 2005 से प्रदान किये गये हैं, ऐसा एक्ट की प्रस्तावना में ही जाहिर किया गया है। DV Act, 2005, जैसा कि इसके preamble में ही अंकित है, कई अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध व घोषणा पत्रों के आधार पर यह नया कानून भारत में पूर्व में बने कानूनों के होते हुए भी भारत में नया कानून बनाया गया है।

यहां उल्लेखनीय है कि कुछ Live in Relationship के गम्भीर व दण्डनीय परिणाम के प्रावधानों को अन्य भारतीय कानूनों में यथावत रखा गया है।

Act of 2005 में परिभाषित Live in Relationship की अगर कोई सीमाएं नहीं रखी होना माना जाये तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते थे, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील D.Velusamy बनाम D. Patchaiammal (2010) 10 SSC 469 में अंकित किया है कि Act of 2005 की धारा

2 (एफ) के अन्तर्गत 'Domestic relationship' (Live in relationship) को परिभाषित नहीं किया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय की राय (पैरा 21) के अनुसार संसद द्वारा ''शादी के रिश्ते'' व ''शादी के जैसे रिश्ते'' में फर्क होना माना है और इन दोनों रिश्तों में महिलाएं Act of 2005 की लाभार्थी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी निर्णय में (पैरा 22 में) यह अंकित किया है कि यह एक नई सामाजिक व्यवस्था भारत में आ रही है जिसे Live in relationship कहा जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह रिश्ता "Live in relationship" भारत में दुर्लभ है और कभी–कभी बडे शहरों में पाया जाता है। इस न्यायिक निर्णय में विश्व के अन्य देशों में इस रिश्ते के आधार पर कानूनी अधिकार व न्यायालयों द्वारा दी गई सहायता पर विचार किया गया। यहां तक कि अमेरिका के न्यायालयों द्वारा हर ऐसे रिश्ते पर न्यायिक सहायता नहीं दी गई है और न ही ऐसे रिश्तों के कारण सरकार द्वारा अब तक किसी पक्ष में कानून बनाये गये हैं, का भी उल्लेख है। विषय पर विस्तार से विवेचना करने के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कानून में 'Domestic relationship/Live in relationship' परिभाषित नहीं होने के कारण से निर्णय दिया कि उपर्युक्त रिश्तों के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की जानी आवश्यक हैं :–

" (a) The couple must hold themselves out to society as being akin to spouses.

(b) They must be of legal age to marry.

(c) They must be otherwise qualified to enter into a legal marriage, including being unmarried.

(d) They must have voluntarily cohabited and held themselves out to the world as being akin to spouses for a singificant period of time.

In our opinion a 'relationship in the nature of marriage' under the 2005 Act must also fulfill the above requirements, and in addition the parties must have lived together in a 'shared household' as defined in Section 2 (s) of the Act. Merely spending weekends together or a one night stand would not make it a 'domestic relationship'. (para 33)

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा नं. 34 में यह घोषणा की है कि हर एक Live in relationship शादी के रिश्ते के समकक्ष नहीं हो सकती है। पैरा 34 निम्न प्रकार से है :–

In our opinion not all live in relationships will amount to a relationship in the nature of marriage to get the benefit of the Act of 2005. To get such benefit the conditions mentioned by us above must be satisfied, and this has to be proved by evidence. If a man has a 'keep' whom he maintains

financially and uses mainly for sexual purpose and/or as a servant it would not, in our opinion, be a relationship in the natureof marriage' स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये इस निर्णय के अभाव में 'Domestic relationship v Fkok Live in relationship' को परिभाषा से नहीं बांधा जाता तो अत्यन्त गम्भीर दुष्परिणाम हो सकते थे।

आयोग की राय में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो विचारणीय बिन्दु थे उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दू आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिश्ते कैसे व किनके मध्य स्थापित हो सकते हैं, परिभाषित किया गया है। आयोग को विचार करना है कि क्या सहमति से ऐसे रिश्ते जो irreversible स्थिति में पहुंचाते हैं, क्या एक पक्ष दूसरे की बिना सहमति व बिना अन्य पक्षकार की गलती के ऐसे सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है? क्या ऐसे सम्बन्ध (साधारणतया पुरूषों द्वारा) तोडे जाने पर क्या जो लाभ Act of 2005 में दिया गया, वास्तव में महिलाओं को ष्और सुरक्षा व लाभष प्रदान करते हैं? क्या ऐसे स्थापित रिश्तों के लिए भी व्यक्ति को व्यक्तिगत कानून के तहत न्यायालय से सम्बन्ध विच्छेद की डिक्री लिया जाना आवश्यक होना चाहिए? ऐसे रिश्तों में न्यायिक निर्णय से सीमाएं परिभाषित की गई व योग्यता बताई गई, परन्तु रिश्ते तोडने के लिए उन्हीं विवाह कानून की शर्तों के लागू नहीं करने से महिलाओं को क्या लाभ हैं?

विषय के अनुसार और बहुत से ऐसे बिन्दु हैं जिनसे मानव अधिकार ही नहीं बल्कि विपेक्ष रूप से महिलाओं के अधिकार से सम्बन्धित हैं।

D.Velusamy के निर्णय के पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Live in Relationship के प्रकार इन्द्रा शर्मा के निर्णय में para 38.1(a) से 38.4 (d) सपठित पद संख्या 56.1 से 56.8 में बताये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Act of 2005 में समलैंगिकों (gay and lesbian) को सम्मिलित होना नहीं माना है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो उदाहरण स्वरूप ऐसे रिश्तों की 04 श्रेणियां अंकित की है वे निम्न हैं :–

(1) बिना शादीशुदा महिला बिना शादीशुदा पुरूष के साथ Domestic Relationship. ऐसे रिश्तों में Act of 2005 का लाभ प्राप्त होगा।

(2) बिना शादीशुदा महिला का रिश्ता शादीशुदा पुरूष के साथ Domestic Relationship.

(3) शादीशुदा महिला का रिश्ता बिना शादीशुदा पुरूष के साथ Domestic Relationship.

(4) ऐसा रिश्ता बिना शादीशुदा महिला का जानबूझकर शादीशुदा पुरूष से सम्बन्ध।

पद संख्या 56.1 से 56.8 निम्न प्रकार से हैं –

"56.1 Duration of period of relationship. - Section 2 (f) of the DV Act has used the

expression "at any point of time", which means a reasonable period of time to maintain and continue a relationship which may vary from case to case, depending upon the fact situation.

56.2 Shared household. - The expression has been defined under Section 2 (s) of the DV Act and, hence, needs no further elaboration.

56.3 Pooling of resources and financial arrangements.- Supporting each other, or any one of them, financially, sharing bank accounts, acquiring immovable properties in joint names or in the name of the woman, long-term investments in business, shares in separate and joint names, so as to have a long-standing relationship, may be a guiding factor.

56.4 Domestic arrangements.- Entrusting the responsibility, especially on the woman to run the home, do the household activities like cleaning, cooking, maintaining or upkeeping the house, etc. is an indication of a relationship in the nature of marriage.

56.5 Sexual relationship.- Marriage-like relationship refers to sexual relationship, not just for pleasure, but for emotional and intimate relationship, for procreation of childred, so as to give emotional support, companionship and also material affection, caring, etc.

56.6 Children.- Having children is a strong indication of a relationship in the nature of marriage. The parties, therefore, intend to have a long-standing relationship. Sharing the responsibility for bringing up and supporting them is also a strong indication.

56.7 Socialisation in public.- Holding out to the public and socialising with friends, relations and others, as if they are husband and wife is a strong circumstance to hold the relationship is in the nature of marriage.

56.8 Intention and conduct of the parties.- Common intention of the parties as to what their relationship is to be and to involve, and as to their respective roles and responsibilities, primarily determines the nature of that relationship."

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विषय को मानव अधिकारों का विषय घोषित किया जा चुका है व राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग इन बिन्दुओं पर विचार करना उचित समझता है।

Live in Relationship (Domestic Relationship) के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इन्द्रा शर्मा के केस में यह निर्णय दिया गया है कि 'Live-in or marriage like-relationship is neither a crime nor

a sin though socially unacceptable in this country.'

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग इस विषय पर विचार करना चाहता है कि जो अपराध नहीं हैं, जो पाप भी नहीं है व जिसे समाज ने अगर स्वीकार भी कर लिया है, अथवा जिसे न कानून समाप्त कर सका है, न समाज खत्म कर सका है, ऐसी परिस्थितियों में भी मानव अधिकार सर्वोपरी हैं या नहीं। मानव अधिकार जन्म से मिलता है, न कि कानून से। प्रथम दृष्ट्या कानून मानव का सेवक (servant) है तथा तमान कानून जो भी मानव से सम्बन्धित हैं, मानव अधिकारों की सुरक्षा के कुछ सीमित क्षेत्र की रक्षा, सुरक्षा, लाभ व दण्ड देने हेतु प्रयास मात्र हैं। तमाम कानून पृथक–पृथक अथवा सम्मिलित रूप से भी सम्पूर्ण मानव अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून बनाये जाने की भी एक सीमा है तथा कानून की पालना करवाना कठिन काम है। अतः सम्पूर्ण मानव अधिकार क्या हैं, यह परिभाषित भी नहीं किया जा सकता है। मानव अधिकार क्या हैं व मानव अधिकारों का हनन हुआ है, यह हर देश, समाज, व्यक्ति इत्यादि की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में यह भी निर्णय दिया गया है कि शादी से सम्बन्धित निर्णय पूर्णतया व्यक्तिगत हैं व साथ में यह विषय मानव अधिकारों का विषय है।

ऊपर वर्णित, D.Velusamy व इन्द्रा शर्मा के निर्णयों के अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय एस. खुशबू बनाम कनियामल व अन्य (2005) (SSC 600) महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रथम प्रश्न यह है कि 'Domestic relationship अथवा Live in relationship' वास्तव में महिलाओं के मानव अधिकारों को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं? चाहे क्ट ।बजए 2005 से यह प्रकट किया कि इस कानून से महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा होगी। इस सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी है कि ऐसे रिश्ते, जो आपसी सहमति से स्थापित किये जाते हैं, और जिन रिश्तों की विशिष्ट अनुपालना न प्रशासन और पुलिस, बल्कि न्यायालय भी नहीं करवा सकते। प्रथम दृष्ट्या ये रिश्ते दो व्यक्तियों के आपसी सहमति से बनाये जा सकते हैं, परन्तु कोई एक पक्ष बिना किसी कारण इस रिश्ते को समाप्त कर सकता है। इस कारण से किस प्रकार से महिलाओं को ''और सुरक्षा'' अथवा ''उचित सुरक्षा'' प्राप्त हुई है, यह एक्ट ऑफ 2005 से अथवा अन्य प्रकार से प्रकट नहीं होती है। यहां यह भी प्रश्न है कि ऐसे रिश्ते अत्यन्त गम्भीर भावनाओं से भी हो सकते हैं और ऐसी सूरत में गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को रिश्ते तोडने की छूट (Benefit to wrongdoer) देने से व इसके बदले में कुछ राशि व सुविधा देने से क्या महिलाओं के अधिकारों व मान सम्मान की सुरक्षा होती है? क्या Live in relationship के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट करने पर पुलिस को Live in relationship के भागीदार की शादी रूकवाने का अधिकार है? जब Live in relationship की भागीदार अत्यन्त गम्भीर स्थिति में हो, क्या पुरूष एक ही क्षण में, बिना महिला की गलती के सम्बन्ध

विच्छेद कर सकता है? (आयोग के समक्ष आये तथ्यों के आधार पर) क्या ऐसी परिस्थितियों में Live in relationship मात्र शारीरिक सम्बन्ध ही हैं? यही रिश्ते विवाह के रूप में पक्षकारान द्वारा स्वीकार किये जायें तब कौनसे ऐसे महिलाओं के अधिकार हैं जो विभिन्न कानूनों से सुरक्षित नहीं हैं। इन बिन्दुओं के अलावा Live in relationship से पक्षकारान के अन्य मुद्दे भी इस प्रकरण में विचार हेतु उपलब्ध रहेंगे।

उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा Live in relationship से अन्य व्यक्तियों के मानव अधिकारों पर क्या प्रभाव है यह एक विचारणीय विषय है। अतः निम्नलिखित व्यक्तियों के मानव अधिकारों पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी विचार किया जायेगा :–

(1) उपर्युक्त रिश्ते से उत्पन्न हुए बच्चे मय बालिकाओं के मानव अधिकार।

(2) उपर्युक्त रिश्ते में रहने वाले व्यक्तियों के परिवार, माता–पिता, भाई–बहन, रिश्तेदार इत्यादि के मानव अधिकार।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अंकित किया है कि Live in relationship के रिश्ते भारत में अभी उभर रहे हैं। D.Velusamy तथा इन्द्रा शर्मा के निर्णय अनुसार इन रिश्तों को समाज ने स्वीकार नहीं किया है। समाज व्यक्तियों से बनता है और व्यक्तियों (मानव) के अधिकारों पर इन रिश्तों से कोई प्रभाव होता है या नहीं यह विषय है।

कुल मिलाकर ऊपर अंकित बहुत सारे बिन्दु बनाने की आवश्यकता आयोग के समक्ष आये प्रकरणों के विचारण के दौरान महसूस की गई। इनमें से कुछ बिन्दु, जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है, वास्तविक तथ्यों के आधार पर दर्ज किये गये हैं। इन बिन्दुओं के अलावा और बहुत सारे ऐसे बिन्दु हैं जिस सम्बन्ध में राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। ऐसे रिश्ते के बारे में कानून बनाये जाने से State action भी सम्मिलित हो चुका है। मूलतः यह व्यक्तिगत विषय है जिसमें व्यक्तियों के मानव अधिकार प्रभावित होते हैं। अतः आयोग यह उचित समझता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सम्पूर्ण जनता को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि सभी विषयों पर एक विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट बनाई जा सके व आवश्यकता होने पर उचित अनुशंसा की जा सके।

अतः इस प्रकरण में आमजन में से कोई भी व्यक्ति जरिये ई–मेल (rshrc@raj.nic.in) अथवा साधारण डाक से (सचिव, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, उत्तरी–पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर–302 005 पते पर) अपनी टिप्पणी, सुझाव, समस्या व Live in relationship से परिणाम–दुष्परिणाम के सम्बन्ध में अपने विचार आदेश की तारीख से 02 माह में आयोग को प्रेषित कर सकेंगे। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के विनियम 2001 के नियम 25 के अनुसार

व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है, अतः जो व्यक्ति इस प्रकरण में अपनी कोई भी टिप्पणी अथवा राय इत्यादि प्रेषित करेंगे उन्हें स्वतः व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

इस प्रकरण में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। ऐसे व्यक्ति अपनी समस्या का उपचार अन्य तरीके से करें। आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित की जावे। प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग की ओर से इस प्रकरण में किसी उच्च अधिकारी के मार्फत राय प्रस्तुत की जा सकेगी।

परिवाद दिनांक 02.05.2017 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 16/33/1175 दिनांक 06.02.2017

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :— **76 वर्षीय परिवादिनी जिसकी पुत्री के पति की मृत्यु हो चुकी है व परिवादिनी की पुत्री वर्ष 2009—2010 में 12वीं पास करने के पश्चात डिप्लोमा इन एजूकेशन के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्ष 2010 में बीपीएल कार्ड बनवाने हेतु आवेदन किया। महामहिम राज्यपाल, एक सांसद, मुख्य मंत्री कार्यालय व तमाम अधिकारियों को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात भी व आयोग में वर्ष 2016 से प्रकरण विचाराधीन है, में कार्यवाही नहीं होने पर राज्य सरकार 6 वर्ष में परिवादिनी के बीपीएल प्रकरण का निस्तारण नहीं करने के कारण रू. 50,000/— के हर्जाना क्यों नहीं आरोपित किया जावें ? इस हेतु उचित कारण बताये जाने हेतु निर्देशित किया गया।**

आदेशिका

परिवादी की उम्र 76 वर्ष है। परिवादी की पुत्री श्रीमती यशोदा के पति की मृत्यु हो चुकी है। परिवादी की पुत्री ने वर्ष 2009—10 में बारहवीं परीक्षा पास करने के पश्चात Diploma in Education का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया एवं बी.ए. भाग 2 पास है। परिवादी की पुत्री बीमार भी है।

परिवादी की पुत्री द्वारा सन् 2010 में उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादडी में बी.पी.एल. कार्ड बनाने हेतु आवेदन किया था। प्रार्थिया द्वारा लगातार महामहिम राज्यपाल महोदय, सांसद महोदय को भी कई पत्र लिखे गये। प्रार्थी द्वारा कई प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार के तहत भी प्रस्तुत किये। प्रार्थिया ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी यही शिकायत प्रस्तुत की। प्रार्थी द्वारा मुख्यमन्त्री महोदय को भी प्रार्थना पत्र लिखा गया। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा मुख्यमन्त्री कार्यालय से प्राप्त विभिन्न प्रकरण अपने पत्र दिनांक 12.09.2012 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, अजमेर/बीकानेर/किशनगढ/छोटीसादडी/फलोदी को निस्तारण हेतु प्रेषित किये गये जिनमें परिवादी की पुत्री का प्रकरण भी था।

कुल मिलाकर परिवादी एवं परिवादी की पुत्री का प्रकरण बी.पी.एल. कार्ड हेतु प्रशासनिक निर्णय का इन्तजार कर रहा है। सब तरफ से थक कर परिवादी ने यह परिवाद आयोग को मार्च, 2016 में प्रेषित किया जिस पर आदेश दिनांक 15.03.2016 द्वारा जिला कलक्टर, प्रतापगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। 04 अवसर देने के पश्चात भी जिला कलक्टर, प्रतापगढ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

परिवादिया बी.पी.एल. कार्ड प्राप्त करने की अधिकारिणी है या नहीं, फिलहाल इससे महत्वपूर्ण बिन्दु है कि परिवादी की पुत्री के बी.पी.एल. कार्ड के प्रकरण पर महामहिम राज्यपाल, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, सम्माननीय सांसद द्वारा प्रकरण भिजवाये जाने के बावजूद भी लगभग 07 वर्ष में प्रशासन द्वारा अन्तिम निर्णय नहीं करने के कारण से परिवादी की पुत्री श्रीमती यशोदा को जिला प्रशासन से राशि रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) हर्जाना क्यों नहीं दिलाया जावे। इस हेतु आदेश की प्रति जिला कलक्टर, प्रतापगढ को जरिये स्पीड पोस्ट प्रेषित की जावे। जिला कलक्टर, प्रतापगढ कारण बतावें कि जिला प्रशासन पर परिवादी की पुत्री श्रीमती यशोदा के बी.पी.एल. प्रकरण का 06 वर्ष से अधिक समय तक निस्तारण नहीं करने के कारण से परिवादी को 50,000/– रूपये हर्जाना क्यों नहीं दिलाया जावे।

जिला कलक्टर, प्रतापगढ हर सूरत में जिस किसी प्रशासनिक आदेश की जरूरत हो वह पारित कर व्यक्तिगत रूप से प्रार्थी की पुत्री के बी.पी.एल. प्रकरण का पूर्ण निस्तारण आदेश प्राप्ति के 01 माह के अन्दर करवायेंगे। बी.पी.एल. प्रकरण का निस्तारण करवाये जाने पर भी हर्जाने के बिन्दु पर आयोग उचित आदेश पारित करेगा।

परिवाद दिनांक 02.05.2017 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या 14 / 15 / 1095 दिनांक 06.02.2017

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :—विद्युत दुर्घटना में होने वाली मृत्यु तथा गंभीर चोटों के कई प्रकरणो में से इस एक प्रकरण में 14 वर्षीय बालक की विद्युत करंट से मौत होने के प्रकरण में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हनुमानगढ़ द्वारा बताया गया कि दुर्घटना एक 11 केवी लाईन के निचे रेत का टिला बनने के कारण लाईन क्लीयरेंस नहीं होने के कारण से घटित हुई। विद्युत कम्पनी द्वारा मृतक के पिता को मुआवजा राशि रू. 2,50,000/— दिनांक 5.4.2013 को अदा की जा चुकी है। आयोग द्वारा संपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कर पाया गया कि विद्युत विभाग की इस दुर्घटना में गंभीर लापरवाही मुख्य कारण रही है। आयोग द्वारा निर्धारित किया गया कि विद्युत कम्पनी द्वारा जारी आदेश दिनांक 9.1.2011 ऐसे प्रकरण में क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि आयोग पर बाध्यकारी नहीं है न ही यह सीमा पीड़ित व पीड़ित के उत्तराधिकारी के लिए है। आयोग द्वारा मृतक के पिता को 2,50,000/— अतिरिक्त व मृतक की माता को रू. 5,00,000/— क्षतिपूर्ति हेतु अनुशंसा की गयी।

आदेशिका

समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 30.12.2012 को समाचार प्रकाशित हुआ कि भादरा के निकटवर्ती गांव भोजासर में एम 14 वर्षीय बालक की बिजली के तारों की चपेट में आने के कारण करंट लगने से मौत हो गई। मृतक गांव के जोहड पर भैंस को पानी पिलाने गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा जोहड के पास तार ढीले लगाये जाने के कारण बालक की मृत्यु हुई। इस समाचार के आधार पर आयोग के तत्कालीन माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री एच.आर. कुडी द्वारा माननीय सदस्य डॉ. एम.के. देवराजन की अनुशंषा पर प्रसंज्ञान लिया गया। प्रकरण में श्री लालसिंह अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्रीगंगानगर, श्री जयप्रकाश, तकनीकी सहायक, गोगामेडी, श्री यशपाल सिंह, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अनूपगढ, श्री हरीश चन्द्र ढालिया, सहायक अभियन्ता (विजिलेंस), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हनुमानगढ, श्री मूलसिंह भाटी, रिटायर्ड अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्री नवीन कुमार, तकनीकी सहायक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, भादरा, हनुमानगढ, श्री अरूण यादव, कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गोगामेडी, हनुमानगढ के बयान लिये गये।

उक्त बयान दर्ज किये जाने से पूर्व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, हनुमानगढ के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 18.06.2014 प्रस्तुत की गई जिसमें यह अंकित किया गया है कि इस घटना की स्वयं निगम द्वारा नियमानुसार जांच कराई गई। जांच से पाया गया कि यह दुर्घटना 11 के. वी. लाईन के नीचे रेत का टीला बनने के कारण लाईन क्लयरेंस कम होने की वजह से घटित हुई। इस कारण से मृतक श्री सुशील के पिता श्री धर्मवीर यादव को मुआवजा राशि 2,50,000/— रूपये चैक संख्या 169789 दिनांक 05.04.2013 द्वारा दी जा चुकी है। इस रिपोर्ट के साथ में दुर्घटना स्थल की फोटो की एक फोटोप्रति भी प्रेषित की गई है, जिसमें एक बहुत बडा टीला व उस पर एक बहुत बडा पौधा उगा हुआ है।

विद्युत निगम द्वारा एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 12 जून, 2015 से यह बताया कि इस स्थल पर दो खम्भों के बीच में दूरी 110 मीटर होने के कारण से लाईन के तार नीचे हो गये व पीएचईडी विभाग द्वारा पास के क्षेत्र की मिट्टी की खुदाई कर तार के नीचे मिट्टी डालने से टीला बन गया था जिससे जमीन व लाईन के मध्य दूरी बहुत कम रह गई थी। विद्युत निगम द्वारा एक जांच रिपोर्ट की प्रति भी आयोग को प्रस्तुत की।

इस प्रकरण में निर्णय किये जाने के बिन्दु निम्न प्रकार से है :—

1. क्या बालक सुशील कुमार पुत्र श्री धर्मवीर यादव, निवासी भोजासर की मृत्यु दिनांक 27.08.2012 को विद्युत निगम की 11 के.वी. भोजासर फीडर की विद्युत लाईन के स्पर्श होने के कारण करंट लगने से हुई?
2. क्या यह घातक दुर्घटना विद्युत निगम/निगम के अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही से हुई?
3. अगर घातक दुर्घटना विद्युत निगम/निगम के अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है तो मृतक सुशील कुमार के पिता श्री धर्मवीर यादव व श्री धर्मवीर की पत्नी (मृतक सुशील की माता) कितना हर्जाना प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

जहां तक बिन्दु संख्या 01 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विद्युत निगम द्वारा लिखित में, विद्युत निगम के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आयोग के समक्ष दिये गये बयानों में तथा विद्युत निगम द्वारा कराई गई जांच से स्पष्ट है, या यूं कहा जा सकता है कि, स्वीकृत है कि श्री सुशील कुमार की मृत्यु दिनांक 29.08.2012 को भोजासर फीडर की 11 के.वी. लाईन के स्पर्श के कारण हुई है। अतः बिन्दु संख्या 01 इसी अनुसार निर्णित किया जाता है।

बिन्दु संख्या 2, क्या यह घातक दुर्घटना विद्युत निगम/निगम के अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही से हुई, के सम्बन्ध में विद्युत निगम द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 18.06.2014 में यह स्वीकार किया गया है कि 11 के.वी. लाईन जमीन से बहुत नीचे थी। अन्य तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक

12.06.2015 में यह स्वीकार किया गया है कि विवादित स्थल पर 11 के.वी. लाईन के दो खम्भों के बीच स्पॉन बहुत लम्बा यानी 110 मीटर का था, जिससे लाईन के तार नीचे (लटक गये) थे। गवाह श्री रामचन्द्र वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बयानों में बताया गया कि 11 हजार के.वी. बिजली की लाईन जमीन से 18 फीट ऊंचाई पर होनी चाहिए, परन्तु वादग्रस्त स्थल पर यह सिर्फ 05 फीट ऊंची थी। गवाह गुलाब सिंह द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त स्थल पर दो खम्भों के बीच की दूरी 110 मीटर व विद्युत लाईन की ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर थी। इस गवाह द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि वर्ष 1999 से पूर्व 11 के.वी. लाईन के खम्भों के बीच की दूरी 110 मीटर मापदण्ड था जिसे वर्ष 1999 में 90 मीटर कर दिया गया था। विवादित स्थल पर दो खम्भों के बीच की दूरी 110 मीटर ही थी उसे बदला नहीं गया था। श्री जयप्रकाश, श्री यशवन्त सिंह, श्री हरीशचन्द्र, श्री मूलसिंह भाटी व श्री अरूण यादव द्वारा, यानि कि विद्युत निगम के सभी अधिकारी व कर्मचारियों ने यह स्वीकार किया कि 11 के.वी. लाईन 18 फीट ऊंची होनी चाहिए थी व दो खम्भों के बीच की दूरी 110 मीटर के स्थान पर 90 मीटर होनी चाहिए थी तथा यह भी स्वीकार किया गया कि इस दूरी के कारण तार नीचे की ओर झूले हुए थे। अतः स्पष्ट है कि विद्युत लाईन मापदण्डों के अनुसार नहीं होकर नीचे थी।

निगम द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जिस स्थल पर दुर्घटना हुई उस स्थल पर पीएचईडी विभाग द्वारा अपने कार्य हेतु पास में खुदाई करने से विद्युत लाईन के नीचे बहुत बडा टीला बन गया था। आयोग की राय में विद्युत निगम का यह तर्क सिरे से खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि अगर विद्युत लाईन के नीचे पीएचईडी द्वारा मिट्टी का टीला बनाया गया तो उसे रोकने का काम भी विद्युत निगम का था। विद्युत निगम द्वारा यह नहीं बताया गया कि इस सम्बन्ध में पीएचईडी से क्या जानकारी प्राप्त की गई थी व यह टीला कब बना था। वादग्रस्त स्थल पर अगर टीला बना हुआ है तो निश्चित रूप से यह टीला बहुत ही पुराना है और यह तथ्य स्वयं विद्युत निगम द्वारा प्रस्तुत फोटों की छायाप्रति से स्वतः ही स्पष्ट है। जिस स्थल का फोटो पेश किया गया है वहां काफी बडा पौधा भी उग चुका था व अन्य छोटे पौधे भी दिख रहे हैं। अतः 11 के.वी. लाईन के नीचे जहां तार भूतल से 18 फीट ऊपर होने चाहिए वहां पर विद्युत लाईन के तार मात्र 1.5 मीटर अथवा लगभग 05 फीट की ऊंचाई पर ही रह गये और इस कारण से ही यह घातक दुर्घटना हुई है। निश्चित रूप से यह घातक दुर्घटना विद्युत निगम के विद्युतकर्मियों द्वारा 11 के.वी. विद्युत लाईन के मानदण्डों से नीचे तक झूलने देने के कारण से व वादग्रस्त स्थल से मिट्टी नहीं हटाने के कारण से 18 फीट के स्थान पर मात्र 05 फीट की दूरी जारी रखने के कारण से हुई है। अतः बिन्दु संख्या 02 का निर्णय दिया जाता है कि दिनांक 29.08.2012 को हुई घातक दुर्घटना जिसमें बालक सुशील कुमार की मृत्यु हुई है, वह विद्युत निगम की गम्भीर लापरवाही से हुई है।

बिन्दु संख्या 03, ऊपर दिये गये निर्णय अनुसार विद्युत निगम की लापरवाही के कारण श्री सुशील कुमार की मृत्यु की वजह से मृतक सुशील कुमार के पिता श्री धर्मवीर यादव व श्री धर्मवीर की पत्नी (मृतक सुशील की माता) कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं, के विषय में एक युवा बालक, उम्र 14 वर्ष, जो अपने माता–पिता का सहारा बन सकता था, उसकी मृत्यु हुई है। मृतक बालक निश्चित रूप से कमाई कर अपने माता–पिता को आर्थिक सहायता भी दे सकता था। मृतक के माता–पिता अपने बच्चे के आदर, स्नेह व प्यार से भी वंचित हुए हैं। मृतक के माता–पिता को अपने पुत्र की मृत्यु से भारी मानसिक आघात भी लगा है। इन सब तथ्यों को देखते हुए आयोग यह उचित समझता है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मृतक के पिता श्री धर्मवीर यादव तथा मृतक की माता (श्री धर्मवीर की पत्नी) को मुआवजे की राशि के रूप में पृथक–पृथक 05–05 लाख रूपये अदा करेंगे। इस राशि की भुगतान में निगम के आदेश संख्या 35 No. JdVVNL/MD/JU/2011/S/ Personnel/F./D/864 Dt. 19.01.2011 अथवा अन्य कोई आदेश या दिशा–निर्देश में अंकित कोई भी अधिकतम राशि की सीमा लागू नहीं होगी। क्योंकि आयोग की राय में अगर निगम द्वारा विद्युत दुर्घटनाओं से सम्बन्धित कोई मुआवजे के लिए नीतिगत निर्णय लिया जाकर मुआवजे की अधिकतम सीमा रखी गई है तो वह सीमा न्यूनतम निगम द्वारा तत्काल किये जाने के लिए हो सकती है और ऐसा बन्धन किसी पीडित अथवा पीडित के उत्तराधिकारियों पर बाध्यकारी नहीं है। अतः निगम उपर्युक्त भुगतान इस आदेश के प्राप्त होने के 03 माह तक नहीं करता है तो मृतक के माता–पिता उपरोक्त देय राशि (2.50 लाख के अलावा) 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से दुर्घटना दिनांक से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इस आदेश की प्रति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर वि.वि.नि.लि., जयपुर, जोधपुर वि.वि.नि.लि., जोधपुर अजमेर वि.वि.नि.लि., अजमेर को तथा प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को तत्काल पालनार्थ प्रेषित की जावे।

उपर्युक्त 05.00 लाख रूपये की राशि जो मृतक के पिता को देय है उसमें से 2.50 लाख मृतक के पिता को अदा की जा चुकी है। अतः मृतक के पिता श्री धर्मवीर को 2.50 लाख व मृतक की माता (श्री धर्मवीर की पत्नी) को 05.00 लाख रूपये अदा की जायेगी।

इस आदेश की प्रति मृतक बालक के पिता को सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली पत्रित की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 16 / 17 / 558 दिनांक 10.02.2017

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :– नगर निगम, जयपुर द्वारा अरबन डवलपमेंट टैक्स (यूडी टैक्स), हाउस टैक्स, व बकाया लीज राशि नहीं चुकाने वाले के सीवरेज कनेक्शन काटने के निर्णय व नोटिस दिये जाने पर गंभीर आपत्ति की गयी। नगर निगम, जयपुर में जवाब दिया गया।

आदेशिका

राजस्थान के दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर आज प्रकाशित समाचारों के अनुसार जयपुर नगर निगम द्वारा शहरवासियों द्वारा यू.डी. टैक्स, हाऊस टैक्स व बकाया लीज नहीं चुकाने वालों के सीवरेज कनेक्शन काट दिये जाएंगे। इस हेतु नगर निगम द्वारा 07 दिवस का नोटिस दिया जाएगा। तय अवधि में राशि जमा नहीं हुई तो क्षेत्रीय जमादार को सम्बन्धित प्रॉपर्टी की सीवर लाइन जाम करने के निर्देश दे दिए जाएंगे। वह तब तक नहीं खोली जाएगी, जब तक सम्बन्धित भवन मालिक टैक्स जमा नहीं करवा दें।

उपर्युक्त निर्णय अपने आप में मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है व पूर्ण संवेदनहीनता की ओर इंगित करता है।

क्या किसी स्थानीय निकाय को स्वयं की टैक्स वसूली के लिए वर्तमान युग (वर्ष 2017) में, जहां राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, किसी व्यक्ति से राशि वसूल करने के लिए उसके घर की सीवरेज लाइन बन्द करने का औचित्य है? क्या इस प्रकार की सोच व्यवहारिक हो सकती है? अगर इस पर अमल कर दिया जावे तो इसके प्रभाव का कोई आंकलन किया गया है?

उदाहरण स्वरूप – (1) एक घर जिसमें एक व्यक्ति परिवार सहित रहता है व नगर नियमों के अनुसार शौचालय व अन्य सुविधायें बनाई हुई है, क्या उस व्यक्ति को मल–मूत्र से भरे हुए शौचालय व गन्दे पानी से भरे हुए घर में रहने की सजा दी जा सकती है।

(2) सिर्फ सुविधा प्रदान करने का दायित्व होने के कारण से जो अत्यधिक आवश्यक सुविधा प्राप्त है उसे मात्र पैसों के कारण से इस प्रकार से वंचित किया जा सकता है?

(3) जिन सम्पत्तियों में संयुक्त परिवार हैं व कई सारे सदस्य साथ रह रहे हैं, क्या उन सबका जीवन दुभर केवल मात्र सरकारी बकाया राशि, जिसकी वसूली लम्बे समय से सरकारी विभाग / स्थानीय

निकाय द्वारा नहीं कर बोझ बना दी गई एवं उसकी वसूली हेतु घर में रह रहे बीमार, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व नाबालिग बच्चों से यह सुविधा छीनी जा सकती है?

(4) घनी आबादी क्षेत्र में व शौचालय के पास ही में अगर पडौसी का मकान है तो क्या पडौसियों पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं होगा?

(5) बहुमंजिला इमारतों में निवास करने वालों पर क्या प्रभाव पडेगा।

(6) बहुमंजिला इमारतों में कुछ ही व्यक्तियों द्वारा कब्जा प्राप्त कर निवासी किया है व डिफाल्टर उस भवन में नहीं रह रहे हैं तब भवन में रहने वाले व्यक्तियों पर क्या असर होगा।

नगर निगम, जयपुर द्वारा निर्णय लेने के पूर्व क्या उक्त बिन्दुओं पर विचार किया गया।

आयोग की प्रथम दृष्ट्या राय में किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारण से चाहे वह अन्य टैक्स या शुल्क ही क्यों नहीं या सीवरेज टैक्स ही क्यों न हो, तथा इसके साथ में अन्य कोई भी निगम की अथवा राज्य सरकार राशि की वसूली के लिए सीवरेज रोककर हथियार के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता है।

समाचार पत्र में दिये गये समाचार के अनुसार वर्तमान में नगरीय विकास कर व गृहकर के पेटे रू. 682 करोड बकाया हैं व नगर निगम इसकी वसूली करने में नाकाम हो रहा है और जबकि निगम की आर्थिक स्थिति खराब है।

अगर यह तथ्य सही है और निगम राशि की वसूली नगर निगम के अधिकारी/ कर्मचारीगणों द्वारा नहीं की गई है तो इस कारण से निगम, प्रयास के रूप में पहले निगम के तमाम अधिकारीगण व कर्मचारियों जो उक्त वसूली में शुरू से आज तक असफल रहे, के सीवरेज कनेक्शन जाम करेगा, ताकि व्यवहारिकता का पता चलकर निगम आगे कार्यवाही कर सके व सीधे आम जनता को नारकीय जीवन जीने में विवश नहीं कर सके।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा आयुक्त, नगर निगम, जयपुर को इस आदेश एवं समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की प्रति आज ही जरिये स्पीड पोस्ट/फैक्स/दस्ती प्रेषित की जावे। प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग व आयुक्त, नगर निगम, जयपुर दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक आवश्यक रूप से इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट व अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 17 / 17 / 558 दिनांक 28.02.2017

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :– नगर निगम, जयपुर द्वारा पुनः दिनांक 13.02.2017 को यूडी टैक्स, व अन्य देय राशि निगम को अदा नही करने वाले बकायेदारों मय होटल मालिक, हास्पिटल, मैरिज गार्डन के सीवरेज कनेक्शन काटने के निर्णय को समाचार पत्रों में जारी कर आम जनता को अवगत कराया गया। आयोग द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 28.02.2017 से नगर निगम, जयपुर की इस कार्यवाही पर अंतरित स्थगन आदेश जारी किया गया।

आदेशिका

राज्य आयोग द्वारा आदेश दिनांक 10.02.2017 से इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया गया था। प्रसंज्ञान लिये जाने का मुख्य कारण आदेश दिनांक 10.02.2017 में निम्न प्रकार से अंकित किया गया कि ''क्या किसी स्थानीय निकाय को स्वयं की टैक्स वसूली के लिए वर्तमान युग (वर्ष 2017) में, जहां राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, किसी व्यक्ति से राशि वसूल करने के लिए उसके घर की सीवरेज लाइन बन्द करने का औचित्य है? क्या इस प्रकार की सोच व्यवहारिक हो सकती है? अगर इस पर अमल कर दिया जावे तो इसके प्रभाव का कोई आंकलन किया गया है?''

आयोग द्वारा नगर निगम, जयपुर द्वारा विचार करने हेतु संक्षिप्त में 06 मुख्य बिन्दु आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2017 में अंकित किये जिनका उल्लेख इस आदेश में पुनः करने की आवश्यकता नहीं है।

नगर निगम, जयपुर द्वारा ऐसा गम्भीर निर्णय इस कारण से लिया गया कि नगर निगम के नगरीय विकास कर व गृहकर के पेटे 600 करोड अथवा उससे भी अधिक राशि बकायादारों में बकाया थी। आयोग द्वारा उक्त राशि निगम द्वारा समय पर वसूल नहीं करने पर भी सख्त टिप्पणी की गई थी।

दिनांक 13.02.2017 को नगर निगम महापौर द्वारा संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी गई कि निगम आयोग में प्रकरण विचाराधीन होते हुए भी बडे बकायादारों में होटल मालिकों, हॉस्पीटल व स्कूल मालिकों तथा मैरिज गार्डन संचालकों से राशि वसूल करेंगे व सीवर कनेक्शन काटने का निर्णय नगर निगम के बोर्ड ने पारित कर दिया है।

आयोग द्वारा उसी दिनांक 13.02.2017 को पुनः विस्तृत आदेश पारित कर नगर निगम, जयपुर का ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर निम्न प्रकार से आकर्षित किया–

''समाचार पत्र में छपे तथ्य के अनुसार बडे बकायादारों में होटल मालिक, हॉस्पिटल, स्कूल मालिक,

और मैरिज गार्डन के संचालक हैं। होटल व हॉस्पीटल में निवास करने वाले कर अदायगी के चूककर्ता नहीं हैं। कर अदायगी में चूक होटल मालिक व अस्पताल मालिक द्वारा की गई है, सजा होटल में आकर एक–दो दिन के लिए रहने वाले व्यक्तियों तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों को सीधे तौर पर किस आधार पर दी जा सकती है? यह निगम से जानना अति आवश्यक है। किस प्रकार से होटल मालिक व अस्पताल के मालिक कर अदायगी के चूककर्ता हैं, इसकी जानकारी होटल में रहने आये व अस्पताल में भर्ती होने आये मरीजों या उनके परिजनों की जानकारी में है? इन कर अदायगी के चूककर्ताओं के बैंक खाते, फर्नीचर, बसें, कारें ही नहीं बल्कि सम्पत्ति कुर्क कर रिसिवर भी नियुक्त करवाये जा सकते हैं।''

आदेश दिनांक 13.02.2017 से नगर निगम से 06 विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर आयोग को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

आयोग का मत था कि सीवरेज कनेक्शन किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारण से व न सिर्फ टैक्स अथवा अन्य राशि, बल्कि किसी भी अपराध के बावजूद नहीं काटे जा सकते हैं।

प्रथम दृष्ट्या टॉयलेट व लेट्रीन की सुविधा से किसी को भी वंचित करना अमानवीय है और अगर ऐसा करने की अनुमति भी कोई कानून देता है तो मानव अधिकार आयोग अपना यह कर्तव्य समझता है कि ऐसे कानून पर पुनर्विचार कर तत्काल विलोपित किया जावे, परन्तु इस प्रथम दृष्ट्या विचार पर नगर निगम, जयपुर को सुना जाना आवश्यक होने से नगर निगम को पक्ष रखने हेतु आदेश की प्रतियां व नोटिस जारी किये गये।

नगर निगम द्वारा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.02.2017 आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान म्युनिसिपल्टीज (लेण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स) नियम, 1961, राजस्थान नगर पालिका (गृहकर) नियम, 2003 के अनुसार जयपुर नगर निगम क्षेत्र में गृहकर वित्तीय वर्ष 2003–04 से लागू है तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2007 के अनुसार नगरीय विकास कर वित्तीय वर्ष 2007–08 से लागू है। निगम के नगरीय विकास कर वसूली सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 07 की धारा 140 से बताये गये हैं।

अतः कर लगाने का अधिकार नगर पालिका व नगर निगम में कानून द्वारा दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु प्रावधान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में दिया हुआ है। आयोग के प्रश्न के उत्तर में नगर निगम द्वारा बिना किसी हिचक के इस सच्चाई को स्वीकार किया गया कि उपर्युक्त कर राशि वसूल नहीं करने के कारण से किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया है। यही नहीं जयपुर नगर निगम में वर्तमान में कर वसूली से सम्बन्धित किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय

कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। आयोग इन तथ्यों को सिर्फ भविष्य में शिक्षा लेने के लिए प्रयोग करना चाहता है व सिर्फ पुरानी कमियों के बारे में अधिक टिप्पणी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझता है ताकि धरातल पर पिछले व पुराने रोने की जगह दृढता से गलतियों को सुधारने के लिए पूर्व की गलतियों से शिक्षा प्राप्त की जा सके। पूर्व में की गई गलतियों से नगर निगम लगभग 600 करोड रूपये की विकास के लिए कानून द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि जो मात्र एक शहर के लिए है, वसूल नहीं कर सका है। यह राशि वसूल नहीं होने का जिम्मा मात्र अधीनस्थ कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि मात्र अधिकारियों पर भी नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि नगर निगम व अन्य स्थानीय निकायों की राशियां वसूल नहीं होने का कारण आम जनता को मालूम है। आयोग स्पष्ट रूप से अंकित करता है कि इसका कारण भ्रष्टाचार भी है और उससे कम गम्भीर सच्चाई नहीं है कि वसूली को ऊपरी दबाव से रोका जाता है। ये तथ्य समाचार पत्रों द्वारा भी प्रकाशित किये जाते हैं और उसके लिए किसी पुराने उदाहरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज के समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार सही है कि मैरिज पैलेस सील किसी और कारण से किया गया व खोला गया किसी और कारण से तथा वह भी टेलिफोनिक आदेश से। पुनश्च आयोग इन व्यवस्थाओं व अव्यवस्थाओं से प्रभावित हुए बगैर नगर निगम से उम्मीद करता है कि जब नगर निगम ने कर (जनधन) वसूली का बीडा उठाया है तो कानून की पालना करते हुए सुदृढता से कानून को सर्वोपरी मानते हुए कानून के निर्देशों की पालना करें।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 130 व उसके पश्चातवर्ती प्रावधानों से न सिर्फ अचल सम्पत्ति, बल्कि चल सम्पत्ति से भी वसूली की जा सकती है। किस प्रकार से वसूली की जायेगी इस हेतु बने हुए प्रावधानों में कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से नगर निगम इस प्रावधान का उपयोग कर तत्काल बकाया राशि वसूल कर सकता है व इसके पश्चात सम्पत्ति की कुर्की व विक्रय सम्बन्धी धारा 135 के प्रावधान भी स्पष्ट हैं।

सन् 2009 के अधिनियम से पूर्व के नगर पालिका अधिनियम में भी यही प्रावधान रहे हैं। इन्हीं कारणों से आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.02.2017 में स्पष्ट टिप्पणी की कि निगम चाहे तो कर वसूली के लिए अन्य तरीके जो कानूनन निगम को उपलब्ध हैं उसके अनुसार कर उचित कदम उठा सकेगा। श्री विनोद पुरोहित, उपायुक्त राजस्व, नगर निगम, जयपुर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जयपुर नगर निगम द्वारा उन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत कर वसूली हेतु अथक प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु कुल नगरीय विकास कर 594.75 करोड रूपये के मुकाबले अब तक मात्र 30.56 करोड रूपये की राशि वसूल हुई है जो लक्ष्य का मात्र 05.14 प्रतिशत ही है। यह राशि भी जब वसूल हो सकी है जबकि राज्य सरकार

द्वारा पेनल्टी एवं ब्याज में शत–प्रतिशत की छूट दी हुई है।

जहां तक इस प्रकरण का मूल बिन्दू है कि क्या जयपुर नगर निगम कर अदायगी के चूककर्ताओं के सीवरेज कनेक्शन बन्द या जाम कर सकता है, उपायुक्त राजस्व, जयपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में नगर निगम के बोर्ड द्वारा एक निर्णय लिया गया है, परन्तु उस पर अभी कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई है।

नगर निगम के जवाब तथा निगम अधिकारी को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि सीवरेज कनेक्शन काटे जाने हेतु निगम को अधिकृत किये जाने हेतु कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तथा निगम द्वारा जो अग्रिम कार्यवाही की गई है उससे भी स्पष्ट है कि निगम द्वारा सीवरेज करनेक्शन काटने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के अलावा यह उल्लेखनीय है कि निगम के जवाब में आयोग के आदेश दिनांक 10. 02.2017 व 13.02.2017 में उठाये गये बिन्दुओं पर कोई जवाब नहीं है, परन्तु आज पत्रावली पर जो तथ्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार सीवरेज कनेक्शन काटने या जाम किये जाने हेतु कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और न ही निगम द्वारा इस हेतु प्रयास किया गया।

निगम का सीवरेज कनेक्शन काटने के पक्ष में तथा इसकी व्यवहारिकता व क्या इसकी पालना सम्भव है, के बारे में कोई भी जवाब नहीं है।

जयपुर नगर निगम अगर अपने पूर्व के निर्णय को कानूनी रूप देना चाहता है व इस प्रक्रिया को अपनाना चाहता है तो नगर निगम, जयपुर उक्त कार्यवाही से पूर्व आयोग में पूर्व के आदेशों व इस आदेश में की गई टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखेगा। आगामी आदेश तक सीवरेज कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे। आदेश प्रभावी रहेगा।

आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ व आयुक्त, नगर निगम, जयपुर को प्रेषित की जावे।

जयपुर नगर निगम स्पष्ट करें कि नगर निगम अपने प्रस्ताव सीवरेज कनेक्शन बन्द करने के निर्णय की पालना में क्या कार्यवाही करना चाहता है।

पत्रावली दिनांक 27.04.2017 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)

अध्यक्ष

परिवाद संख्या 13/11/2322 दिनांक 28.02.2017

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

शीर्ष टिप्पण :– परिवादी जिला अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, (राठौड) जिला शाखा चुरू के जिला अध्यक्ष की हैसियत से उक्त महासंघ के लैटर हैड पर स्वयं व स्वयं की पत्नि के आर्थिक हितों के लाभ हेतु गलत परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 28.02.2017 से परिवादी पर रु. 25,000/– हर्जाना आरोपित किया गया। (परिवादी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध रिट याचिका संख्या 5228/2017 से दी गयी चुनौती माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 01.05.2017 से निस्तारित की गयी।)

आदेशिका

परिवादी श्री महावीर सिंह चौहान ने जिलाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड) जिला शाखा चुरू की हैसियत से एक परिवाद राज्य आयोग को पेश किया व आरोप लगाया कि शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के एकीकरण की प्रक्रिया के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आर्य समाज, रतनगढ, जिला चूरू को राजकीय प्राथमिक विद्यालय अम्बेडकर नगर/कॉलोनी, रतनगढ, चूरू में विलय किया गया है इस बाबत् कुछ लोगों द्वारा उक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आर्य समाज, रतनगढ को यथावत रखने का ज्ञापन दिया है। आयोग द्वारा इस परिवाद के निम्नांकित बिन्दुओं पर जिला कलक्टर, चूरू से आदेश दिनांक 08.07.2014 से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई –

''1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय आर्य समाज, रतनगढ का भवन पूर्णतया जीर्ण–शीर्ण एवं कभी भी गिरने की स्थिति में है तथा कभी भी एक बडा हादसा हो सकता है।

2. उक्त भवन के नजदीक से 50 मीटर पर रेल्वे लाईन गुजरती है, जिसके फलस्वरूप बालकों के जीवन के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है, रेल्वे लाईन के नजदीक स्कूल खोलना नियम विरूद्ध है।

3. उक्त विद्यालय के 20 फीट की दूरी से पक्की सडक गुजरती है, वहां से अत्यधिक वाहन गुजरते हैं जिसके फलस्वरूप बालकों की दुर्घटना हो सकती है, विद्यालय नार्मस के अनुसार यहां विद्यालय होना नियम विरूद्ध है।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा, चुरू एवं ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रतनगढ ने राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं करके राजकीय प्राथमिक विद्यालय आर्य समाज, रतनगढ

को निरन्तर चलाए जाने का आदेश दिया, इसलिए उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।''

जिला कलक्टर, चूरू द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू द्वारा की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट से यह अवगत कराया कि परिवादी द्वारा लगाये गये आरोप गलत हैं तथा सही तथ्य ये हैं कि राजकीय अम्बेडकर नगर प्राथमिक विद्यालय परिवादी की पत्नी श्रीमती संतोष चौहान के मकान में 3857/– रूपये प्रतिमाह की दर से किराये पर संचालित था, जबकि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आर्य समाज, रतनगढ आर्य समाज के भवन में चल रहा है, जिसका कोई किराया नहीं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने दिनांक 25.09.2013 के आदेश द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, अम्बेडकर नगर को राजकीय प्राथमिक विद्यालय आर्य समाज, रतनगढ में समायोजित करने का संशोधित आदेश पारित किया है। अतः परिवादी द्वारा अपनी पत्नी के राशि 3857/– रूपये प्रतिमाह किराये का नुकसान होने से यह परिवाद पेश किया था। आयोग के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा आदेश दिनांक 08 जुलाई, 2014 में इन तथ्यों के आधार पर गम्भीर टिप्पणी की है कि परिवादी ने बिना किसी आधार के स्वयं की पत्नी के आर्थिक नुकसान के कारण से अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड) जिला शाखा चुरू के लेटर हैड पर यह परिवाद पेश किया है। अतः उक्त आपराधिक कृत्य के लिए परिवादी को दण्डित किये जाने की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जावे। इसी आदेश दिनांक 08.07.2014 द्वारा जिला कलक्टर, चूरू को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में जांच कर रिपोर्ट भेजें, ताकि परिवादी श्री महावीर सिंह चौहान के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आदेश दिनांक 17.06.2015 से आयोग द्वारा जिला कलक्टर, चूरू को परिवादी श्री महावीर सिंह चौहान के विरूद्ध अपने स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये, परन्तु उक्त निर्देशों की पालना 01 वर्ष 06 माह बाद भी नहीं की गई जिस पर दिनांक 06.12.2016 को आयोग अध्यक्ष द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया गया।

आदेश दिनांक 06.12.2016 व 30.01.2017 की पालना में आज श्री ललित कुमार गुप्ता, जिला कलक्टर, चूरू मय रिकॉर्ड उपस्थित हुए।

जिला कलक्टर, चूरू द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पूर्व में कार्यवाही नहीं हो पाने का स्पष्टीकरण अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2017 से आयोग को प्रेषित किया जा चुका है तथा इस सम्बन्ध में अधीनस्थ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण से उनके विरूद्ध नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। जहां तक परिवादी श्री महावीर सिंह चौहान का प्रश्न है, जिला

कलक्टर, चूरू द्वारा बताया गया कि उनको प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री महावीर सिंह चौहान सेवानिवृत हो चुके हैं।

सरकारी सेवा में रहते हुए एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पत्नी के हितों की रक्षा हेतु दिनांक 21.05.2013 से पूर्व अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड) जिला शाखा चुरू के लेटर हैड का दुरूपयोग किया व सरकारी कर्मचारी के व्यवहार की अपेक्षा के विरूद्ध एक दुराचरण किया गया। इन तथ्यों की जानकारी के बावजूद विभाग/प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा परिवादी सफलतापूर्वक सेवानिवृत हो सभी सेवानिवृति लाभ भी प्राप्त कर चुका है। आयोग के समक्ष पूर्व में भी ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जब विभाग स्वयं सरकारी कर्मचारी की गम्भीर गलती मानता है और सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी के बावजूद ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध समय पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। स्वयं विभागों को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार से कुछ कर्मचारी अपने अधिकारियों के अनुशासन में नहीं रहते व अधिकारीगण स्वयं भारी दबाव में कार्य करते हैं, इससे विभाग में अनुशासनहीनता को बढावा तथा स्वार्थी एवं स्वयंभू नेताओं को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में कुछ अधिकारीगण भी निराशा के शिकार होते हैं। अतः आवश्यक है कि अनेक न्यायिक निर्णयों के पश्चात व आयोग के कई प्रकरणों में गम्भीर टिप्पणियों के पश्चात राज्य सरकार तथा प्रशासन Governance की ओर तत्काल ध्यान देवें। इसकी पालना हेतु आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित की जावे।

जिला कलक्टर, चूरू की उक्त रिपोर्ट कि परिवादी ने अपनी पत्नी के हितों की रक्षा के लिए यह परिवाद पेश किया है, पर परिवादी को नोटिस देकर जवाब तलब किया गया। परिवादी द्वारा आयोग के इस नोटिस का जवाब भी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (राठौड) जिला शाखा चुरू के लेटर हैड पर ही प्रस्तुत किया, परन्तु परिवादी के जवाब से कोई संतोषजनक कारण आयोग के समक्ष नहीं आया जिससे कि जिला कलक्टर, चूरू द्वारा प्रस्तुत की गई तथ्यों रिपोर्ट पर संदेह किया जा सके। यही नहीं, परिवादी द्वारा इस तथ्य का खंडन भी नहीं किया गया है।

पूर्व में प्रस्तुत जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चूरू व कार्यालय ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, रतनगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.06.2013 का विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग संतुष्ट है कि परिवादी द्वारा यह परिवाद अपने संगठन का दुरूपयोग कर अनाधिकृत रूप से महासंघ के लेटर हैड पर आयोग को झूंठी शिकायत प्रस्तुत की है। अतः राज्य सरकार परिवादी से विशेष हर्जाना राशि 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र) प्राप्त करने की अधिकारी रहेगी। जिला कलक्टर, चूरू उक्त वसूली हेतु तत्परता से आवश्यक कार्यवाही कर राशि वसूल कर राजकोष में जमा करायेंगे।

इस प्रकरण को समाप्त करते हुए यहां ये भी उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर, चूरू के कार्यालय द्वारा सही तथ्यों की जानकारी जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण से यह प्रकरण सन् 2013 से 2017 तक विचाराधीन रहा। यह शिथिलता सरकारी कार्यालयों में जारी है, परन्तु राज्य आयोग प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप से हर्जाना लगाये जाने में संकोच नहीं करेगा। क्योंकि राज्य मानव अधिकार आयोग प्रशासनिक कार्यों में सीधे दखलंदाजी नहीं करता है, परन्तु जिन अधिकारियों द्वारा स्वयं आयोग को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने के पश्चात अपने स्तर पर जो कार्यवाही की जानी है, वह आयोग को प्रकरण के दौरान ही स्पष्ट करनी चाहिए तथा आवश्यक होने पर आयोग को सूचित करने के पश्चात कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि परिवादी के विरूद्ध बिना कारण कार्यवाही पर अंकुश लग सके व परिवादियों में भय का वातावरण भी नहीं बनें।

उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ यह प्रकरण समाप्त किया जाता है। जिला कलक्टर, चूरू ऊपर वर्णित राशि वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

परिवाद संख्या 12 / 24 / 3509 दिनांक 22.03.2017

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

आदेशिका

मृतक बन्दी जावेद उर्फ नसीम उर्फ नूर उर्फ अंजू पुत्र इरफान की न्यायिक हिरासत में दिनांक 18. 01.2012 को मृत्यु होने पर जांच धारा 176 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेल्वेज, कोटा को सिपुर्द की गई। जांच रिपोर्ट व सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन कर आयोग के तत्कालीन कार्यवाहक अध यक्ष द्वारा इस प्रकरण में 04 पुलिसकर्मियों की लापरवाही होना पाया जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु तथा मृतक के निकटतम सम्बन्धी को क्षतिपूर्ति हेतु 02.00 लाख रूपये दिलाये जाने हेतु आदेश दिनांक 24.02.2016 से निर्देश जारी किये गये।

राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा मृतक के निकटतम परिजनों को क्षतिपूर्ति राशि रूपये 02.00 लाख अदा किये जाने हेतु स्वीकृति आदेश जारी किया जा चुका है व जिला कलक्टर, कोटा को उक्त राशि के भुगतान हेतु दिनांक 29.09.2016 को निर्देशित किया जा चुका है।

इस आदेश की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, कोटा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि जिला कलक्टर, कोटा उक्त भुगतान राशि मृतक के परिजन को अगर अदा नहीं की गई है तो तत्काल अदा करना सुनिश्चित करें।

पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 31.03.2016 से बताया कि चालानी गार्ड के चारों कर्मचारी जिला कोटा शहर के पुलिसकर्मी थे जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा ही अधिकृत है।

आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा को मय आयोग के आदेश दिनांक 24 फरवरी, 2016 की प्रति उपर्युक्त चारों पुलिसकर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु निर्देश के साथ प्रेषित की जावे।

क्योंकि इस प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित किया जा चुका है। अतः पत्रावली पत्रित की जाती है। जिला कलक्टर, कोटा व पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा शहर, कोटा आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

माननीय अध्यक्ष महोय द्वारा आयोग में 11.03.2016 को कार्यभार ग्रहण किया गया।

मार्च, 2016

दिनांक	उपस्थिति	कार्य विवरण
28.03.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर
29.03.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर
30.03.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर
31.03.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर

अप्रेल, 2016

11.04.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर
12.04.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर
13.04.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर

जून, 2016

21.06.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर
22.06.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर
23.06.2016	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर

सितम्बर, 2016

दिनांक व वार	उपस्थिति	कार्य विवरण
14.09.2016, बुधवार	उदयपुर प्रवास	कैम्प कोर्च एवं जन सुनवाई व जेल निरीक्षण–उदयपुर
15.09.2016, गुरुवार	उदयपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जन सुनवाई व जेल निरीक्षण–उदयपुर
16.09.2016, शुक्रवार	उदयपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जन सुनवाई व जेल निरीक्षण–उदयपुर
26.09.2016, सोमवार	दिल्ली प्रवास	NHRC के माननीय अध्यक्ष महोदय से मीटिंग

अक्टूबर, 2016

दिनांक व वार	उपस्थिति	कार्य विवरण
10.10.2016, सोमवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर
13.10.2016, गुरुवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एंव जनसुनवाई, जोधपुर
14.10.2016, शुक्रवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट एवं जनसुनवाई, जोधपुर
17.10.2016, सोमवार	चण्डीगढ़ प्रवास	पंजाब, हरियाणा के एच.आर.सी. के अध्यक्षगण के साथ मीटिंग
24.10.2016, सोमवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर

25.10.2016, मंगलवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर
26.10.2016, बुधवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर
27. 10.2016, गुरुवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर
28.10.2016, शुक्रवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर

नवम्बर, 2016

दिनांक व वार	उपस्थिति	कार्य विवरण
11.11.2016, शुक्रवार	सीकर प्रवास	राजकीय प्रवास
17.11.2016, गुरुवार	बाड़मेर प्रवास	बाड़मेर जेल निरीक्षण
18.11.2016, शुक्रवार	जोधपुर प्रवास	जोधपुर में जिला कलक्टर के साथ सिलिकोसिस मीटिंग

जनवरी, 2017

02.01.2017, सोमवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर
03.01.2017, मंगलवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर
04.01.2017, बुधवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर
06.01.2017, शुक्रवार	जोधपुर प्रवास	कैम्प कोर्ट, जोधपुर

फरवरी, 2017

05.02.2017	जालोर प्रवास	जिला कलक्टर से मीटिंग
17.02.2017, शुक्रवार	दिल्ली प्रवास	दिल्ली एन.एच.आर.सी. की मीटिंग में पधारे।

श्री डी.के. बसु बनाम पश्चिमी बंगाल व अन्य याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में जारी निर्देश

1. गिरफ्तार करने और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को सही दृश्यमान पहचान और अपने पदनाम सहित नामपट्टी धारण करनी चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कार्मिकों की प्रविष्टियां जो गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करते है, एक रजिस्टर में अभिलिखित की जानी चाहिये।
2. यह कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के कुटुम्ब का कोई सदस्य या उस क्षेत्र जहां से गिरफ्तारी की गई है, का कोई सम्मानीय व्यक्ति हो सकेगा। इस पर गिरफ्तार व्यक्ति प्रति हस्ताक्षर भी करेगा और उसमें गिरफ्तारी का समय और तारीख अन्तर्विष्ट होगी।
3. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है और जो किसी पुलिस शाखा या पूछताछ केन्द्रों या अन्य हवालात में अभिरक्षा में रखा जाता है, किसी मित्र या नातेदार या उसे जानने वाले या उसका भला चाहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, जब तक कि गिरफ्तार के ज्ञापन को अधिप्रमाणित करने वाला साक्षी स्वयं उस गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र या कोई नातेदार न हो, यथासमय शीघ्र यह सूचित करने का हकदार होगा कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे अमुक स्थान पर निरूद्ध किया गया है।
4. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय, स्थान और गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा का स्थान, उस जिले में विधिक सहायता संगठन और संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के माध्यम से गिरफ्तारी के पश्चात् 8 से 12 घण्टे की कालावधि के भीतर–भीतर तार द्वारा वहां अधिसूचित किया जाना चाहिये, जहां गिरफ्तार व्यक्ति का निकटतम मित्र या नातेदार जिले या नगर से बाहर निवास करता हो।
5. गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानकारी दी जानी चाहिये कि जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है, उसे अपनी गिरफ्तारी या निरोध की सूचना किसी व्यक्ति को देने का अधिकार है।
6. निरोध के स्थान पर व्यक्ति की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में डायरी में प्रविष्टि की जानी चाहिये, जो उस व्यक्ति के वाद मित्र के नाम को जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई है उन पुलिस पदाधिकारियों के नाम और विशिष्टियां, जिनकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति है, को भी प्रकट करेगी।
7. गिरफ्तार व्यक्ति की, यदि वह ऐसा निवेदन करे, उसकी गिरफ्तारी के समय जांच भी की जानी चाहिए और गम्भीर और सामान्य चोटें, यदि उसके शरीर पर विद्यमान हो, उस समय अभिलिखित की जानी चाहिए। इस निरीक्षण ज्ञापन पर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को हस्ताक्षर करने चाहिए और उसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध करायी जाये।

8. गिरफ्तार व्यक्ति की, अभिरक्षा में उसके निरोध के दौरान प्रत्येक 48 घंटों में ऐसे प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय परीक्षा की जायेगी जो संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा नियुक्त किये गये अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल पर हो। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं समस्त तहसीलों और जिलों के लिए भी ऐसा पैनल बनायेगा।

9. ऊपर निर्दिष्ट गिरफ्तारी के ज्ञापन सहित समस्त दस्तावेजों की प्रतियां इलाका मजिस्ट्रेट को उसके अभिलेख के लिए भिजवायी जायेगी।

10. गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिवक्ता से मिलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। किन्तु पूछताछ की पूर्ण अवधि के दौरान नहीं।

11. समस्त जिला और राज्य मुख्यालयों पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिये, जहां गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी करने के 12 घंटों के भीतर–भीतर गिरफ्तारी और गिरफ्तार व्यक्ति की अभिरक्षा के स्थान के संबंध में सूचना दी जायेगी।

सुलभ सरल असरदायक ।
मानव अधिकार आयोग की सेवाएं लाभदायक ।।

किसी तरह के अन्याय से आप न हो परेशान ।
मानव अधिकार आयोग करेगा आपकी समस्या का समाधान ।

राज्य आयोग के कार्य

आयोग, निम्नलिखित सभी या इनमें से किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्–

(क) स्व–प्रेरणा से या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर–

(1) मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की, या

(2) किसी लोकसेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में बरती गई उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा,

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा,

(ग) राज्य सरकार को सूचना देने के अध्यधीन, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा,

(घ) मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या किसी अन्य संस्था का, जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं को अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा,

(ङ) उन कारकों का जिनमें उग्रवाद के कृत्य भी है, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते है, पुनरावलोकन करेगा एवं उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा।

(च) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा,

(छ) समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशकों, साधनों (मीडिया) सेमीनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरुकता को विकसित करेगा,

(ज) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा,

(झ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जिन्हें वह मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझेगा।

राज्य आयोग की शक्तियां

शिकायतों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है–

1. साक्षियों को बुलाना तथा उनको परिक्षित करना एवं शपथ–पत्र पर उनकी परीक्षा करना।
2. किसी दस्तावेज को खोजना एवं प्रस्तुत करना।
3. हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त करना।
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक–अभिलेख या उसकी प्रति के लिए आदेशित करना।
5. साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन गठित करना।
6. अन्य कोई विहित प्रकरण।

आयोग यदि किसी व्यक्ति से सुसंगत बिन्दुओं पर सूचना चाहता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 176 एवं 177 के अधीन ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा। किसी भी स्थान के निरीक्षण हेतु आयोग किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत कर सकता है। उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 100 में निहित शक्तियां प्राप्त होगीं और वह किसी भी दस्तावेज का उद्धरण या प्रतिलिपि ले सकता है।

अनुसंधान हेतु आयोग भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या एजेन्सी की सेवाओं का उपयोग राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सहमति से कर सकता है।

जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करने के प्रयोजनार्थ, कोई भी अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया गया है, आयोग के निर्देश एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए,

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन कर सकेगी तथा उसकी उपस्थिति को प्रवर्तित कर सकेगी एवं उसकी परीक्षा कर सकेगी।

(ख) किसी दस्तावेज की खोज करने एवं प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति के लिए आदेशित कर सकेगी।

धारा 15 के उपबन्ध किसी अधिकारी या एजेंन्सी के, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया गया है, के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किसी बयान के संबंध में उसी तरह लागू होंगे, जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये किन्हीं बयानों के संबंध में लागू होते हैं।

अधिकारी या एजेन्सी, जिसकी सेवाओं का उपयोग उप–धारा (1) के अधीन किया गया है, जांच से संबंधित किसी मामले में अन्वेषण करेगी तथा उस पर प्रतिवेदन आयोग को ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा, जो इस संबंध में आयोग द्वारा विहित की जाएगी।

आयोग अभिकथित तथ्यों एवं उपधारा (4) के अधीन उसे प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में निकाले गये परिणामों यदि कोई हो, की सत्यता के बारे में अपना समाधान करेगा तथा इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच (जिसमें उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की परीक्षा भी शामिल है, जिन्होंने अन्वेषण किया या उसमें सहायता की) करेगा, जो वह उचित समझेगा।

शिकायतों का पंजीयन एवं सुनवाई की प्रक्रिया

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में यह विहित किया गया है कि आयोग ऐसे समय एवं स्थान पर बैठक करेगा, जिसे अध्यक्ष उचित समझेगा। कार्य प्रणाली का निर्धारण आयोग द्वारा स्वयं किया जाता है।
2. कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 बनाए है।
3. आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आयोग द्वारा समय–समय पर राज्य के विभिन्न स्थानों पर जाकर मौके पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। आयोग द्वारा ग्रामीण इलाकों में जन सुनवाई–शिविर व बैठकें भी आयोजित की जाती है।
4. शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रियाः–परिवादों को किसी भी माध्यम से यथा स्वयं उपस्थित होकर, पत्र द्वारा, फैक्स द्वारा, तार द्वारा आदि के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। समाचार–पत्र में छपी खबरों पर भी आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाता है। परिवाद हिन्दी या अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवाद के साथ कोई फीस देय नहीं है। आयोग परिवाद के विषय में अतिरिक्त सूचनाऐं जो आवश्यक समझता है, मंगा सकता है। आवश्यकतानुरूप शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे सकता है।
5. आयोग द्वारा साधारणतः ग्रहण नहीं करने योग्य परिवाद निम्न प्रकार हैः–
    1. अस्पष्ट या अनाम या अपठनीय, तुच्छ या अकारण किसी को परेशान करने वाले।
    2. किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित मामले।
    3. एक वर्ष से अधिक पुराने प्रकरण।
    4. सिविल विवाद से संबंधित, जैसे संपत्ति के अधिकार, संविदागत बाध्यताएं आदि।
    5. सेना से संबंधित विवाद।
    6. श्रम या औद्योगिक विवादों से संबंधित मामले।
    7. आरोप जो किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं हो।
    8. जहां अभिकथनों से मानवाधिकारों के किसी विनिर्दिष्ट अतिक्रमण का मामला नहीं बनता हो।
    9. जहां मामला किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो।
    10. जहां मामला किसी न्यायिक अभिमत या आयोग के किसी विनिश्चय के अन्तर्गत आता हो।
    11. जहां आयोग को किसी अन्य प्राधिकारी को प्रेषित परिवाद की प्रति प्राप्त हो।
    12. जहां मामला आयोग के कार्यक्षेत्र के बाहर हो।

परिवाद प्राप्त होते ही उनको वर्गवार छंटनी कर जांच हेतु संबंधित अधिकारी के समक्ष रखा जाता है। वर्गीकरण के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र– क अथवा ख में परिवाद भरे जाकर रजिस्ट्रीकरण अनुभाग को भेजे जाते हैं।

6. शिकायतों का पंजीयनः–

रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले प्रत्येक परिवाद के संबंध में जिला कोड और रजिस्ट्रीकरण के वर्ष सहित प्रकरण संख्यांक, डायरी संख्यांक डाले जाते हैं। रजिस्ट्रीकृत समस्त परिवाद यथासम्भव शीघ्र सात दिवस के अन्दर आयोग के समक्ष रखे जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय के विशेष या साधारण आदेशों केअध्यधीन एकलपीठ, खण्डपीठ अथवा पूर्णपीठ द्वारा प्रकरण निपटाए जाते हैं।

प्रारम्भिक विचार के पश्चात्, यदि आयोग प्रकरण को खारिज करता है तो, परिवादी को सूचित किया जाता है। यदि परिवाद ग्रहण कर लिया जाता है या स्व–प्रेरणा से संज्ञान लिया जाता है तो नोटिस जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की जाती है।

आयोग की राय में जहां ऐसे व्यक्ति को जिसके आचरण की वह जांच करता है, या जहां उसकी राय में ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रतिकूलता प्रभावित होनी सम्भाव्य है, अपने आधार के समर्थ में साक्षी यदि कोई हो, की प्रतिपरीक्षा के अवसर सहित, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाता है।

जांच के पश्चात् यदि यह तथ्य प्रमाणित होता है कि किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा ऐसे हनन रोकने की उपेक्षा की है तो आयोग उसके विरुद्ध अभियोजन या ऐसी कार्यवाही शुरू करने की अभिशंसा, जो वह उचित समझे, कर सकता है।

आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए जो भी आवश्यक हो, अनुरोध कर सकता है।

आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य/सदस्यों को, जिसे आयोग आवश्यक समझे, राज्य सरकार अथवा प्राधिकारी से अंतरिम सहायता तत्काल देने की अनुशंसा कर सकता है।

जब आपको कहीं से सहयोग का न हो आसरा ।
मानव अधिकार आयोग देगा आपको सहारा ।।

Rajasthan State Human Rights Commission
Hon'ble Acting Chairperson

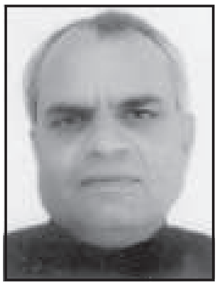

Name	:	**Shri H.R. Kuri**
Father's Name	:	Late Shri Tulsiram Kuri
Date of Birth	:	3rd March, 1951
Birth Place	:	Village-Somna, Distt. Nagaur
Wife's Name	:	Smt. Kamla Kuri
No. of Children	:	2 Sons
Education	:	B.Sc. LL.B.
Religion	:	Hindu

Career-

Year	***Details***
1976	Joined Rajasthan Judicial Service
1976-1989	Munsif Magistrate
1989-1991	Addl. Chief Judicial Magistrate
1991-1993	Chief Judicial Magistrate
1993	Promoted to Higher Judicial Services
1993-2000	Addl. District and Sessions Judge & Addl. Registrar, High Court
2000-June, 2002	Legal Advisor, RPSC
June 2002 to 20 Sept., 2002	Registrar (Classification & Vigilance)
20.09.2002 to 28.07.2004	Special Secretary, Rajasthan Legislative Assembly
2004	Judge, Labour & Industrial Tribunal, Kota
2004-2006	Director, Law, JDA, Jaipur
2006-2007	District & Sessions Judge, Sawai Madhopur
2007	Member Secretary, Rajasthan Legal Services Authority
2007-2008	District & Sessions Judge, Alwar
17.07.2008 to 31.03.2011	Secretary, Rajasthan Legislative Assembly
01.09.2011 to 14.06.2012	Hon'ble Member of Rajasthan State Human Rights Commission
14.06.2012	Hon'ble Acting Chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission

Address :

B-3 (1/27), Gandhi Nagar, Jaipur-302015

Fax No. :

Office 91-141-2227738

Phone No. :

Office 91-141-2227565

Res. 91-141-2707214

E-mail : rshrc@raj.nic.in

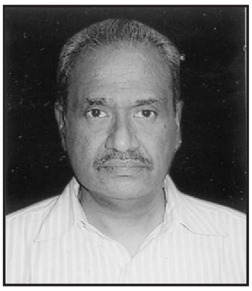

Hon'ble Member
Dr. M.K. Devarajan

Dr. M.K. Devarajan, born on May 19, 1951, hails from an agricultural family in Changanacherry, dist. Kottayam, Kerala. He graduated from University of Kerala in 1971 in B.Sc. (Special) in Zoology. While in service, he completed MBA in HR from Indira Gandhi National Open University, Delhi, in 1997 and Ph. D. from Dept. of Psychology, University of Rajasthan in 2006. The subject for his doctoral thesis was ‘Attitudinal Changes for Better Policing’.

After doing two 2 year stints in the Ministry of External Affairs and Canars Bank, he joined the Indian Police Service in 1977 and was allotted to Rajasthan cadre. Apart from a five year stint in the Govt. of India as Asst. Director in Intelligence Bureau, he served in Rajasthan where he has worked as Asst. Superintendent of Police in Sri Ganganagar, Kota City and Baran; Superintendent of Police in Anti Corruption Bureau and districts Jhalawar, Nagaur, and Tonk; Dy. Inspector General of Police in Bikaner Range and Anti Corruption Bureau; Inspector General of Police in Bikaner Range and anti Corruption Bureau; Inspector General of Police in Crime Branch and Intelligence Branch; Additional Director General of Police, Re-organization & Technical, Headquarters, Planning & Welfare, and Intelligence; and Director General of Police, Anti Corruption Bureau and Training. He superannuated from the post of Chairman & Managing Director, Rajasthan Small Scale Industries Corporation on May 31, 2011. He joined Rajasthan State Human Rights Commission as a Member on September 1, 2011.

Dr. Devarajan has been a member of National Police Mission since its inception in 2008. He was the Group Leader of Micro Mission-2 of the above Mission from Dec. 2008 to May, 2011 and continues as a member since then. He has submitted several reports on Community Policing to Government of India in that capacity. He was an Adjunct Faculty Member of BITs, Pilani, for the academic years 2007-08 and 2008-09.

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

दूरभाष निर्देशिका

वर्ष 2016-17

क्र. सं.	पदनाम	कार्यालय	आई. पी.	आवास	मोबाईल नम्बर
1.	न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया माननीय अध्यक्ष महोदय	2385101	26623	-	7340060665
2.	श्री एच. आर. कुड़ी माननीय सदस्य	2227565	26621	-	9829212199
3.	डॉ. एम. के. देवराजन माननीय सदस्य	2385102	26630	2754275	9772511111
4.	श्री जगदीश चन्द्र देसाई सचिव	2227742	26614	2784822	9462998866
5.	श्री दलपत सिंह दिनकर अति. पुलिस महानिदेशक	2227090	26616	2780011	9414022522
6.	श्री शैलेन्द्र कुमार व्यास रजिस्ट्रार	2227077	26628	2703553	9414045555
7.	श्री सतीश कुमार अति. पुलिस अधीक्षक	2227090	26624		9414360543
8.	श्री राजेन्द्र कुमार चारण अति. पुलिस अधीक्षक	2227090	26624	-	9460316139
9.	सुरेश चन्द जैन सहा. लेखाधिकारी-प्रथम	2227742	26634	-	9460387592
10.	श्री दुष्यन्त कुमार जैन प्रोग्रामर	2227183	26632	-	9829894449

Officer's Contact Details
Rajasthan State Human Rights Commisison
SSO Building, Secretariat, Janpath, C-Scheme, Jaipur-302005
Rajasthan, India
Fax No. : 0141-2227738, email : rshrc@raj.nic.in